उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H53870 सी–6/ स्था०–52/ O.A.No 116/2014/ मीरा शुक्ला /2020 Dated 14-10-2020

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding submission of Action Taken Report in Compliance of order dated 16.06.2020 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Ors.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of order dated 16.06.2020, the compliance report is enclosed here with for your kind perusal and further necessary action.

Yours Sincerely,

Enclosures: As above

(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301.

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Compliance Report of Hon'ble NGT order dated 16.06.2020 in O.A. No. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others

Compliance Report of Hon'ble NGT order dated 16.06.2020 in O.A. No. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others are as follows:

Relevant Point of Order	Compliance Status
1. ……Clearly not providing for STPs/CETPs is contempt of the Supreme Court as well as NGT. Supreme Court in its order has also mentioned that Secretary of Environment Department shall be answerable in case of default. The Secretaries to Government concerned shall be responsible for monitoring the progress and implementation of above directions. Not constructing these STPs/CETPs for lack of budgetary support from NMCG certainly is not a valid excuse. The Chief Secretary may be directed to ensure sufficient budgetary resources either from Government of India or from State budget within a month, so that work on these STPs/CETPs should commence immediately. NGT has mandated that any STP where work does not commence from 1.04.2020 will be liable to EC @5 Lakh per month. CPCB may issue notice to the Gorakhpur Municipal Corporation/GIDA for EC.	• In compliance of Hon'ble NGT said order, Chief Secretary, U.P vide its GO no- NGT-313/81-7-2020-44 (Writ) / 2016 TC-1, dt; 03.07.2020, directed the Additional Chief Secretary/Principal Secretary of Urban Development/ Panchati Raj/Irrigation & Water Resources/ Department of Infrastructure & Industrial Development /Energy/Medical Education Department of Uttar Pradesh to comply the said order and submit the compliance report accordingly. Copy of the said GO dt; 03.07.2020 is attached as **Annexure-1** • A meeting was held on dt; 09.07.2020 under the chairmanship of chief secretary, U.P. Government with the officials of the concerned departments of U.P. The relevent portion of minutes are as follows :- 1. नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद ने एस0टी0पी0 के स्थापना हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार डी0पी0आर0 लागत रू0 33.20 करोड़ धनराशि तथा नगर पंचायत मगहर सन्तकबीर नगर द्वारा एस0टी0पी0 लागत रू0 19.88 करोड़ धनराशि के डी0पी0आर0 को एन0एम0सी0जी0 से शीघ्र स्वीकृत कराकर एस0टी0पी0 के स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाये। यदि एन0एम0सी0जी0 द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग द्वारा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किये जाये। 2. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा) गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, रू0 17 करोड़ गीडा तथा शेष रू0 39.79 करोड़ की धनराशि एन0एम0सी0जी0 से प्राप्त की जानी है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से फालोअप कर डी0पी0आर0 का शीघ्र अनुमोदन कराकर सी0ई0टी0पी0 की शीघ्र स्थापना करायी जाये। Copy of the said Meeting Minutes dt; 09.07.2020 is attached as **Annexure-2** • UPPCB vide it letter dt: 16.09.2020 has instructed the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Khalilabad & Executive Officer, Nagar Panchayat, Maghar to submit the current status of establishment of STP at Khalilabad & Maghar. Copy of the said letter dt; 16.09.2020 is attached as **Annexure-3** • Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Khalilabad vide its letter dt; 18.09.2020, informed that the land for establishment of STP has been identified at Village- Chatpihani, Khalilabad

Tech. Consultant

Scanned with CamScanner

	and estimate has been prepared & send to UP Government by UP Jal Nigam. Meanwhile for the treatment of wastewater of drain, a plan for bio-remediation has been included in 14 th Finance Commission and tender has been preparing for the same. Copy of the said letter dt; 18.09.2020 is attached as **Annexure-4** • Executive Officer, Nagar Panchayat, Maghar vide its letter dt; 21.09.2020, informed that the land for establishment of STP has been identified at Village- Mohala Gandhi Ashram, Maghar and estimate has been prepared & send to UP Government by UP Jal Nigam. Meanwhile for the treatment of wastewater of drain, a plan for bio-remediation has been included in 14th Finance Commission and tender has been preparing for the same. Copy of the said letter dt; 21.09.2020 is attached as **Annexure-5** • For establishment of CETP at GIDA, Gorakhpur, a meeting dt; 27.07.2020 was held under the chairmanship of Commissioner, Gorakhpur with the officials of concerned departments. Copy of the said meeting minutes dt; 27.07.2020 is attached as **Annexure-6** • The Director General, National Mission for Clean Ganga has informed vide his letter dated: 01.09.2020 that the proposed capacity of the CETP as plan is on the higher side and the project needs to be implemented in phased manner. In compliance of these directions, UPPCB has issued a letter dt: 21.09.2020 to CEO, GIDA, Gorakhpur for the submission of the revised DPR to National Mission for Clean Ganga. Copy of the Letter dt: 01.09.2020 & dt: 21.09.2020 are attached as s **Annexure-7a & 7b**
2. No interim measures for the treatment of the wastewater in drains and sewages have been made yet. has mandated that bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.4.2020, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB.	• The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Khalilabad vide its letter dated: 18.09.2020 has informed that the land for establishment of S.T.P. has been identified at Village- Chatpihani, Khalilabad and estimate has been prepared & send to UP Government by UP Jal Nigam. Meanwhile for the treatment of wastewater of the drain, a plan for bio-remediation has been included in 14th Finance Commission and tender has been preparing for the same. Copy of the said letter dt: 18.09.2020 is already available as **Annexure-4** • The Executive Officer, Nagar Panchayat, Maghar vide its letter dated: 21.09.2020 has informed that the land for establishment of S.T.P. has been identified at Village- Mohala Gandhi Ashram, Maghar and estimate has been prepared & send to UP Government by UP Jal Nigam. Meanwhile for the treatment of wastewater of the drain, a plan for bio-remediation has been included in 14th Finance Commission and tender has been preparing for the same. Copy of the said letter dt: 21.09.2020 is already available as **Annexure-5**
3. All the municipal corporations were supposed to abide by SWM Rules, 2016 by 1.04.2020. Any violation in following SWM Rules, beyond the deadline would entail penalty. Gorakhpur Municipal Corporation has so far not started work on landfill site/processing plant. Any default in commencing work before 1.04.2020 would attract penalties (EC). CPCB may work out EC and issue notice.	• A meeting was held under the chairmanship of chief secretary, U.P. Government on 09.07.2020 with the officials of concerned departments of U.P. The concerning portion of minutes are as follows :- 8. नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण निस्तारण एवं लैण्ड फिल साइट की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर स्थापना की जाये तथा कार्ययोजना की प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

Tech Consultant C.E.O-6

Scanned with CamScanner

	• Municipal Commissioner, Gorakhpur vide its letter dt; 30.07.2020 has requested to Vice Chairman, Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur to provide 30 Acre land for establishment of MSW Processing Plant/Secure Land Fill Site. Copy of the said letter dt; 30.07.2020 is already available at **Annexure-8a** • UPPCB vide its letter dt. 16.09.2020 has directed the Municipal Commissioner, Gorakhpur to submit the current status of establishment of MSW Processing Plant/Secure Land Fill Site. Copy of the said letter dt; 16.09.2020 is attached as **Annexure-8b** • UPPCB vide its letters asked the permission from Government of UP to file prosecution under section- 5 of Environment (Protection) Act, 1982 against the concerned Municipal Commissioner of Gorakhpur. Copy of the said letters are attached as **Annexure-9a, 9b & 9c.**
4. This area is very sensitive from JE/AE point of view. Besides BRD Medical college is the most important medical center in this area catering to medical requirements of large part of Eastern UP and Northern Bihar. The Primary cause of JE/AE is pollution. Hence it is most important that BRD medical college must follow BMW Rules, 2016. More so there is an influx of COVID-19 patients which will increase in the coming months Principal Secretary Medical Education shall ensure that in such critical times, BRD Medical College follows all the BMW norms. Any negligence on the part of concerned officers may be dealt with strictly and responsibility may be fixed.	• B.R.D. Medical College has 950 Bed capacity and at present Non-COVID B.M.W. (250 Kg per day) & COVID-19 B.M.W. (700 Kg per day) is generated by this medical college, which is disposed off by C.B.W.T.F. (M/s MPCC, Khalilabad, Santkabir Nagar). The B.R.D. Medical college has authorization valid up to July, 2020 under BMW Rules, 2016 and has applied for authorization on date- 05.10.2020 which is under process. • UPPCB vide it's letter dt. 01.10.2019 has imposed the environmental compensation of Rs-4.4115 Crore against the Medical College in compliance of Hon'ble NGT order passed in O.A. No. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others on dt. 17.12.2018, dt.07.03.2019, dt. 29.04.2019 & dt. 27.09.2019. • In compliance to UPPCB letter dt. 01.10.2019, the B.R.D. Medical College had not submitted the imposed EC. A letter dt 29.09.2020 from UPPCB has already been sent to the District Magistrate Gorakhpur for recovery of Environmental Compensation as per the land-revenue. Copy of the said letter dt 29.09.2020 is attached as **Annexure-10**
5. There are a large number of drains going untapped in Ramgarh Taal. The state would do well to plan STPs for these drains. As an interim measure bioremediation /phytoremediation of all these drains shall be started immediately.	The Chief Engineer, UP Jal Nigam, Gorakhpur vide it's report dated: 30.09.2020 has informed that- • Out of 24 drains, 06 major drains which were falling directly in Ramgarh Tal have been intercepted, diverted and being treated in 02 numbers STPs (15 MLD & 30 MLD Capacity). Rest 18 minor drains are falling directly in Ramgarh Tal. Out of this, 18 minor drains, 07 are falling directly in Ramgarh Tal from it's eastern side having total discharge as 5.463 MLD, which will be taken care under on going project of "Gorakhpur Sewerage Scheme, Zone A-1 Southern Part Under "AMRUT" upto 06/2021. • Remaining 11 minor drains having total discharge (1.357 MLD) falling directly in Ramgarh Tal from it's northern side are proposed to be intercepted, diverted under sent project (Amounting rupees 34.82 Crore) of "Construction of earthen bund and intercepting sewer line at northern side of Ramgarh Tal from Paidleyganj to RKBK Maruti Showroom"

Tech Consultant

CSO-6

Scanned with CamScanner

<table>
<tr>
<td></td>
<td>approval of which is awaited from Government of UP. Under this project, discharge of above 11 drains will be treated at 30 MLD existing STP.
• Local Jal Nigam Office does not have any experience/expertise of bio-remediation/phyto-remediation hence it will be better that bio-remediation/phyto-remediation of untapped drains falling directly in Ramgarh Tal lake should also be executed by NEERI, Nagpur through RECUS Lucknow as an interim/short term measure.
Copy of the said Jal Nigam Report dt; 30.09.2020 is attached as Annexure-11</td>
</tr>
<tr>
<td>6. As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units.</td>
<td>• UPPCB is continuously monitoring the industries in the catchment area of Aami River.
• Status of Compensation imposed and Recovered from the industries in the catchment area of Aami River is as follows:

S. No.	Name of the Industry	EC Imposed	Recovery of EC Amount	Remark
1	M/s B. R. D. Medical College & Hospital (Nehru Chikitsalay), Gorakhpur	Rs. 4.4115 Crore	Nil	• UPPCB vide it's letter dated 29.09.2020 has requested the District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the M/s B. R. D. Medical College & Hospital. Copy of the said letter dt; 29.09.2020 is attached as **Annexure-12**
4	M/s Bharti Research and Breeding Firm, FL-27, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 6.1125 Lacs	Nil	• UPPCB vide its letters dated: 17.12.2019, 19.05.2020 & 14.07.2020 has requested the District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the industry. Copy of the said letters are attached as **Annexure-13**
5	M/s Mother Shree Dairy, D-1/3D, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 8.4 Lacs	Nil	• UPPCB vide its different letter dated: 17.12.2019, 19.05.2020 & 14.07.2020 has requested to District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the industry. Copy of the said letters are

</td>
</tr>
</table>

Tech. Consultant CEO-6

Scanned with CamScanner

				attached as **Annexure-14**
6	M/s Alkane Construction Pvt Ltd., FL-1, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 4.25 Lacs	Nil	• UPPCB vide its different letter dated: 17.12.2019, 19.05.2020 & 14.07.2020 has requested to District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the industry. Copy of the said letters are attached as **Annexure-15**
7	M/s Burnet Pharmaceutical Pvt. Ltd., FL-1, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 12.875 Lacs	Rs. 0.5 Lacs	• UPPCB vide its different letter dated: 17.12.2019, 19.05.2020 & 14.07.2020 has requested to District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the industry. Copy of the said letters are attached as **Annexure-16**
8	M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 10.1875 Lacs	Rs. 2.0 Lacs	• UPPCB vide its different letter dated: 17.12.2019, 19.05.2020 & 14.07.2020 has requested to District Magistrate, Gorakhpur for issuing RC to recover the imposed EC as per the land-revenue against the industry. Copy of the said letters are attached as **Annexure-17**
9	M/s Royale Savera Foods Pvt. Ltd., FL-28, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 6.1125 Lacs	Rs. 6.1125 Lacs	--
10	M/s Dr. Sandhu Hatchery, FL-28, Sector 13, GIDA, Gorakhpur	Rs. 6.1125 Lacs	Rs. 6.1125 Lacs	--
11	M/s Bajaj Hindustan Sugar Ltd (Distillery Unit), Rudhauli, Basti	Rs. 1.4280 Crore	Rs. 1.4280 Crore	• UPPCB vide it's letter dated: 16.09.2020 has issued following closure order direction under

Tech. Consultant C.EO-6

	section 33A of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 against industry : - 1. यह कि उद्योग मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, (आसवनी इकाई) ग्राम–अठद्मा, तहसील–रूद्यौली, जनपद–बस्ती में उत्पादन कार्य तब तक बन्द किया जाता है जब तक कि उद्योग में स्थापित स्टोरेज लैगून एवं बायो कम्पोस्टिंग यार्ड को पूर्ण रूप से समाप्त/डिस्मेन्टल करने के पश्चात् पुनः उत्पादन बोर्ड से अनुमति प्राप्त न कर ली जाये। 2- यह कि स्टोरेज लैगून में भरे हुए स्पेन्टवॉस को भस्मीकरण हेतु मल्टी इफेक्ट इबापोरेटर एवं स्लाप ब्वायलर को संचालित कर उसे शुन्य कर लिया जाये। • Aforesaid directions were complied on date- 18.09.2020. Copy of said letter dated: 18.09.2020 & compliance report are appended as **<u>Annexure-18a & 18b.</u>** • The prosecutions under section 41 of The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 have been filed against following industries by UPPCB :- 1. M/s Gorakhnath Agro Industries Pvt. Ltd., FL-20/27, Sector 13, GIDA, Gorakhpur. 2. M/s Bajaj Hindustan Sugar Ltd (Distillery Unit), Rudhauli, Basti.
7. Regarding illegal electric connections given to units operating without consent or digging of tubewells without permission of Central Groundwater Authority, it has been mentioned by SPCB that the consent to establish an industry will be given only after prior groundwater clearance. It is recommended that since it is an inter-departmental matter, specific instructions may be issued to	• A meeting was held under the chairmanship of chief secretary, U.P. Government on 09.07.2020 with the officials of concerned departments of U.P. The concerning portion of minutes are as follows :- प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये रेड एवं ऑरेंज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगो को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग

Tech. Consultant C.E.O-6

Scanned with CamScanner

all the departments by Chief Secretary.	द्वारा रेड एवं ऑरेंज कैटेगरी उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात् उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा उक्त संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्यवाही विलम्बतम् एक माह में पूर्ण कर ली जाये। • In compliance of aforesaid directions, UPPCB vide it's letter dt: 29.07.2020 & dt. 16.09.2020 the list of Red, Orange Category Industry has already been sent to Principal Secretary, Department of Energy, U.P. Copy of the said letter dt: 29.07.2020 & dt. 16.09.2020 are attached as **<u>Annexure-19a & 19b.</u>**
8. UPPCB has informed that detailed action plans related to polluted river stretches of Ghagra, Rapti, Varuna, Sai, Saryu, Ami and Tamsa have been prepared and approved by River Rejuvenation Committee. The implementation of these plans by District Environment Committee at District level and River Rejuvenation Committee at the State level may be continuously monitored. The minutes of the State level Committee may be uploaded on the State Environmental Portal and a copy may be made available to this committee.	• The meeting minutes of the State Level River Rejuvenation Committee (RRC) held on dt: 26.06.2020 has been uploaded on the State Environmental Portal and a copy of the said minutes is attached as **<u>Annexure-20.</u>**
9. We have been assured by Additional Chief Secretary (Irrigation) that the joint committee report on wetlands will be passed in the meeting on 15.06.2020 and made available to the committee. This committee would send a supplementary report on that after getting that report and studying it. "	• Special Secretary, Irrigation and Water Resources Department, UP government vide it's letter dt; 28.09.2020 has directed to concerned department for compliance of Hon'ble NGT order dt; 27.09.2019. Copy of said the letter dt; 28.09.2020 is attached as **<u>Annexure-21</u>**
10. Tihura drain needs to be cleaned and obstructions, if any, there to removed.	• In compliance of Hon'ble NGT order dated: 24.09.2019, UPPCB vide it's letter dated: 01.01.2020, following directions has been issued to District Magistrate, Ayodhya under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986- 1. यह कि तिहूरा नाले में किसानो द्वारा बनाये गये समस्त बंधों को तुरन्त हटा लिया जाये। 2. यह कि तिहूरा नाले के किनारे स्थित गाँव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धिकृत किये तिहूरा नालें में निस्तारित न किया जाये। 3. यह कि तिहूरा नालें में एकत्र स्लज को मेसर्स यश पैका लि0, (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0) दर्शन नगर अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहूरा नालें में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके। Copy of said the directions dt; 01.01.2020 is attached as **<u>Annexure-22.</u>** • The Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, U.P. Government has also directed the District Magistrate, Ayodhya vide his letter dt. 12.06.2020 to comply with the

Tech. Consultant C.E.O.-6

Scanned with CamScanner

	directions issued by UPPCB under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986. Copy of the said letter dt. 12.06.2020 are attached as **Annexure-23** • District Magistrate, Ayodhya vide his letter dt-20 08-2020 has informed that at present the removal of check dams in Tihura drain is not possible as this matter is covered in Writ. Petition No 4704/2019 (M/B) Dinesh yadav Vs State of UP which is pending in Hon' ble High Court, Lucknow. Copy of the said letter dated 24-08-2020 is attached as **Annexure-24**

Tech Consultant C.E.O-6

Scanned with CamScanner

954
एम एस कैम्प/20
दिनांक 7-7-2020

Annexure-1

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-313 /81–7–2020–44(रिट)/2016 टी0सी0–2
लखनऊ : दिनांक :03 ~~जून~~ जुलाई 2020

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास/पंचायती राज/सिंचाई एवं जल संसाधन/
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ऊर्जा/चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त आदेश में नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना किये जाने, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन किये जाने, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, रामगढ़ ताल में निस्सारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन के द्वारा शुद्धिकरण किये जाने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त किये उद्योगों को विद्युत संयोजन तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति न प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ड्रेन से प्रवाहित वेस्ट वाटर के निस्तारण हेतु अभी तक कोई अन्तरिम व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि उसे दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये थे। रामगढ़ ताल में कई नाले गिर रहे हैं। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अभी तक लैण्ड फिल साइट/प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना नहीं की गयी है। बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश की अनुपालन आख्या दिनांक 30.09.2020 तक अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर की जानी है।

3– अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या तथा यदि किसी कार्य को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार करने में विलम्ब हुआ है, तो विलम्ब का औचित्य अनुपालन आख्या में स्पष्ट करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करते हुए उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई–मेल soenvups@rediffmail.com तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.com, cee6@uppcb.com पर ससमय उपलब्ध करायें, जिससे तदनुसार Consolidated Report समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सके।

C-6
05/07/2020
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

10/7/2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–NGT-313 (1)/81–7–2020–44(रिट)/2016 टी0सी0, तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

1086 Annexure-2

24-7-2020

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को अपरान्ह 04:30 बजे एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारी गण की सूची संलग्न है। बैठक में प्रकरणवार हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत् है–

1– ओ0ए0 सं0– 06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है तथा इस प्रकरण में अधिकरण द्वारा ड्रेन्स में उत्प्रवाह शोधन हेतु बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडिएशन का कार्य दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के आदेश भी जारी किये गये है। उक्त के अतिरिक्त संचालित एस0टी0पी0 में कमियों का निराकरण 03 माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किये जाने के निर्देश जारी है। इसी प्रकार ऐसे एस0टी0पी0, जिनके निर्माण का कार्य दिनांक 01.07.2020 तक पूर्ण नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु मासिक दरें निर्धारित की गई है। उक्त के अतिरिक्त बन्थला कैनाल एवं इन्दिरापुरी ड्रेन के क्षेत्र में फिकल स्लज ट्रीटमेंट व्यवस्था भी पूर्ण की जानी है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीवेज उपचार संयंत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हुआ है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सुश्री शैलजा चन्द्रा की अध्यक्षता में मा0 अधिकरण द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को प्रेषित की गई है तथा आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 27.01.2021 को मा0 अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि बायो डायवर्सिटी पार्क के विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में पत्रावली निर्णयार्थ विचाराधीन है तथा फ्लड प्लेन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

e-mail forwarded to concerned

All circle Head CEO, C.lab/LO-I

24/07/20 (आशीष तिवारी) सदस्य सचिव

F.E. (A) 3/-

circulate copy of this to all CEOs/LO-I Clab

-10-

10

Scanned with CamScanner

बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्रेन्स के फाइटोरेमिडियेशन के सम्बन्ध में फिजिबिलिटी का अध्ययन करते हुए कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयबद्ध योजना तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें तथा प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 एवं दिनांक 06.05.2020 में पारित निर्देशों के अनुसार साहिबाबाद, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन्स के टैपिंग व अन्य परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाए। बन्थला एवं इन्दिरापुरी कैनाल की टैपिंग हेतु प्रस्तावित 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्वीकृति हेतु नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के स्तर पर तत्परता से प्रयास किया जाए। उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण न होने के कारण अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

2– **ओ0ए0 सं0– 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण गंगा नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 में निर्देशित किया गया कि गंगा नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में सीवेज उपचार संयंत्रों की संचालित परियोजनायें दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण की जायें तथा अन्य समस्त परियोजनायें दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण कर ली जायें। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कार्य पूर्ण होने तक सीवेज शोधन हेतु अन्तरिम व्यवस्था की जाए। मा0 अधिकरण के आदेश में अन्तरिम उपचार की समयबद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नगर विकास विभाग पर रू0 18 करोड़ मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा अधिरोपित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उक्त धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 16.06.2020 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेपित किया गया है।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अन्तरिम उपचार की परियोजना वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित स्थानीय

Scanned with CamScanner

निकायों को बायो रेमिडियेशन कार्य किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी में बिजनौर से कानपुर तक लम्बाई में फलड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य प्रगति पर है तथा ई–फ्लों की अधिसूचना का अनुपालन किया जा रहा है। फलड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन माह जुलाई, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुंए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा फलड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन निर्गत कर उसकी सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए। अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 13.08.2020 को मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सकें।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

3– <u>ओ0ए0 सं0–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा हर्रा नगर पंचायत मेरठ में 102 गांवों में पाईप्ड जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम विराल में टेण्डरिंग की स्टेज में है । मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा बताया गया कि सहारनपुर, बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में 03 एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने हैं तथा इन क्षेत्रों में ड्रेन के रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैम्प में पाये गये 169 कैंसर मरीजों के उपचार का बिन्दु भी सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त अनटैप्ड ड्रेन्स में अन्तरिम उपचार का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

सचिव, नगर विकास द्वारा सूचित किया गया कि हर्रा नगर पंचायत में पाईप्ड जल आपूर्ति की रू 8 करोड़ लागत की परियोजना वित्त विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

Scanned with CamScanner

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा सूचित किया गया कि 112 कैंसर मरीजो का उपचार विशिष्ट चिकित्सालयों में कराया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु वित्त विभाग के साथ एक बैठक आहूत कर कार्यवाही की जाए तथा एस0टी0पी0, ड्रेन्स के रेमिडियेशन की समस्त परियोजनाओं में टाइमलाइन प्रदर्शित करते हुए एवं कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बाधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त नगर विकास विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में की गई कार्यवाही की आख्या 01 सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये, ताकि आगामी नियत तिथि 06.08.2020 से पूर्व ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

4– <u>ओ0ए0 सं0– 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0– 437/2015 :–</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिकमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण दिनांक 05.11.2020 को नियत है तथा अनुपालन आख्या दिनांक 30.09.2020 तक दाखिल की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाए तथा उक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्यवाही विलम्बतम् 01 माह में पूर्ण कर ली जाए।

(कार्यवाही–ऊर्जा विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– भू–गर्भ जल की दृष्टि से Over Exploited, Critical एवं Semi Critical में प्रस्तावित उद्योगों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मत स्थिर कर समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव 01 सप्ताह में लघु

Scanned with CamScanner

सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग को प्रेषित किया जाए। लघु सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग प्रस्ताव पर मत स्थिर कर 01 माह में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही—लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3— नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार डी0पी0आर0 लागत रू0 33.20 करोड़ धनराशि तथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा एस0टी0पी0 लागत रू0 19.88 करोड़ धनराशि के डी0पी0आर0 को एन0एम0सी0जी0 से शीघ्र स्वीकृत कराकर एस0टी0पी0 के स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। यदि एन0एम0सी0जी0 द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव 01 माह में प्रस्तुत किये जाये।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4— गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, रू0 17 करोड़ गीडा तथा शेष रू0 39.79 करोड़ की धनराशि एन0एम0सी0जी0 से प्राप्त की जानी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से फालोअप कर डी0पी0आर0 का शीघ्र अनुमोदन कराकर सी0ई0टी0पी0 की शीघ्र स्थापना करायी जाये।

(कार्यवाही—अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, निदेशक, एस0एम0सी0जी0 एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5— नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर स्थापना की जाये तथा कार्ययोजना की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं नगर निगम गोरखपुर)

6— सम्बन्धित विभागों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं रिवाइज्ड टाइम लाइन की सूचना सहित माननीय अधिकरण में अनुपालन आख्या समय से दाखिल करना सुनिश्चित किया जाये। यदि आदेश के किसी बिन्दु के अनुपालन में कोई तकनीकी/वित्तीय कठिनाई है, तो यह दृष्टिगत रखते हुए कि उपरोक्त वाद की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 05.11.2020 नियत है, सम्बन्धित विभाग द्वारा माननीय अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त निर्देश जारी कराने हेतु 01 में में कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित विभाग)

5— **ओ0ए0 सं0— 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :—**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी

Scanned with CamScanner

थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा बताया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निदश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

प्रकरण में सनुवाई की आगामी तिथि 21.09.2020 नियत है। अतः नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत दाखिल करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 दिन में अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

6– **<u>ओ0ए0 सं0– 909/2018 एवं 954/2018 कोफेडरेशन ऑफ ट्रांस हिण्डन आर0डब्ल्यू0ए0 गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य :–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 में निर्देशित किया गया है कि इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स को चिन्हित किया जाए तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए। मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के निर्देश दिये गये है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा टेण्डर का कार्य प्रगति पर है, 10 ड्रेन्स चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 05 ड्रेन्स की डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स के चिन्हीकरण तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त कार्यवाही आगामी नियत तिथि 22.07.2020 से पूर्व सुनिश्चित करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग)

7— ओ0ए0 सं0— 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 :—

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड—19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग)

8— ओ0ए0 सं0—648/2019 मै0 हिण्डन रिजार्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0 :—

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में एस0टी0पी0 द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद तथा उ0प्र0 जल निगम पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि एस0टी0पी0 द्वारा मानकों की प्राप्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए, शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पृथक चैनल के निर्माण तथा उक्त कार्यों हेतु परफार्मेन्स गारंटी जमा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एस0टी0पी0 का संचालंन निर्धारित मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 29.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सीवेज शोधन एवं अधिकरण के आदेश में वर्णित समस्त कार्यों से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड—19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 15 दिन में मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यवाही

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

9– **ओ0ए0 सं0–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 01.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तत्काल बनाकर मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या 15 दिन में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

10– **ओ0ए0 सं0– 985/2019 एवं 986/2019 :**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जाजमऊ, कानपुर, रनिया, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर में जल प्रदूषण से सम्बन्धित है। इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में खानचन्दपुर, रनिया, कानपुर देहात में क्रोमियम कण्टामिनेटेड स्थल के रेमिडियेशन तथा प्रभावित गाँवों में स्वच्छ जल आपूर्ति किये जाने के निर्देश पारित किये गये।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.02.2020 एवं दिनांक 11.06.2020 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्र की दोषी इकाईयों के विरूद्ध रिकवरी सम्बन्धी कार्यवाही के प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हो गये हैं, जिन पर वसूली की कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वसूली की कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक 15 दिन पर करते हुए अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

क्रोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बन्ध में यू0पी0सी0डा0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा किये गये टेण्डर पर मात्र 1 प्रस्ताव उचित पाये जाने के दृष्टिगत पुनः टेण्डर की प्रक्रिया की जानी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यू0पी0सी0डा0 द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही कराते हुए क्रोमियम डम्प के निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन आख्या 01 माह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही–यू0पी0सी0डा0/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

Scanned with CamScanner

11— मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बायो रेमिडियेशन, ड्रेन की टैपिंग, पाइप्ड पेय जल योजना, लिगेसी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, शोधित उत्प्रवाह के पूर्ण उपभोग आदि की महत्वपूर्ण परियोजनायें, जो कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है तथा जिसमें आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाना है, के सम्बन्ध में एक प्राथमिकता सूची तैयार कर उनके वित्त पोषण हेतु वित्त विभाग के साथ 15 दिन में एक बैठक आयोजित करायें, ताकि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के साथ विचार–विमर्श किया जा सके तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं वित्त विभाग)

12— बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त समस्त प्रकरणों के अन्तर्गत आच्छादित ऐसी परियोजनायें, जिनमें प्रस्तावित समय–सीमा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देशित समय–सीमा से अधिक है, के सम्बन्ध में कार्यों को डी0पी0आर0 में निर्धारित समयसीमा के पूर्व पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत कार्यों के इण्टरमीडिएट माइलस्टोन निर्धारित करते हुए अतिरिक्त संसाधानों के साथ गहन अनुश्रवण कर इस प्रकार सम्पादित कराया जाए जिससे उक्त कार्य डी0पी0आर0 में निर्धारित समय–सीमा के पूर्व पूर्ण हो जाए। इस सम्बन्ध में सम्भावित संशोधित टाइमलाइन के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त कराये जाने हेतु अनुरोध आवेदन 15 दिन दाखिल कर आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

बैठक में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विभिन्न विचाराधीन एप्लीकेशनस में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के उत्पन्न डिफाल्ट की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त की सूचना मा0 अधिकरण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः समस्त विभागों द्वारा मा0 अधिकरण के आदेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त की अनुपालन आख्या ससमय मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संजय सिंह
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– 684 /81–7–2020–01(पर्या)/2015
लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/पंचायती राज/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

Scanned with CamScanner

कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- जिलाधिकारी, कानपुर देहात/गाजियाबाद।

3- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर/गाजियाबाद।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर/यूपीसीडा, कानपुर।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

6- निदेशक, एस0एम0सी0जी0/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, उ0प्र0।

7- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 1529 ()/1 .... /सी–6/ Dated 15-9-2020

ई–मेल द्वारा मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद,
   जनपद–संतकबीरनगर।

2. अधिशासी अधिकारी,
   नगर पंचायत मगहर,
   जनपद–संतकबीरनगर।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–एन0जी0टी0–313/81–7–2020–44 (रिट)/2016 टी0सी0–2 दिनांक 03.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करें (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद तथा नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित विभागों की अनुपालन आख्या तथा यदि किसी कार्य को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार करने में विलम्ब हुआ है तो उस विलम्ब का औचित्य अनुपालन आख्या में स्पष्ट करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करते हुए उसकी प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करें।

स्थानीय निकाय द्वारा एस0टी0पी0 स्थापना के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण अभी तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। अवगत हों कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य तथा ओ0ए0सं0–437/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 से आच्छादित है, जिसमें मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को दिनांक 30.09.2020 तक अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी हैं।

अतः प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि एस0टी0पी0 की स्थापना के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-4

कार्यालय–नगर पालिका परिषद खलीलाबाद संतकबीरनगर

पत्रांक–473/न0पा0प0/2020–21 दिनाँक– 18/9/2020

सेवाने,

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
ब्लाक रोड, बुद्वापुरम, बडेवन बस्ती।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0स0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या– एच 52904/सी0–6 दिनांक 16.9.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,के द्वारा नगर पालिका परिषद खलीलाबाद एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने हेतु मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय के साथ निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से सम्बन्धित विभागों की अनुपालन आख्या तथा यदि किसी कार्य को एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार करने में विलम्ब हुआ है,तो उसे विलम्ब का औचित्य अनुपालन आख्या स्पष्ट एस0टी0पी0 निर्माण की अद्यतन सूचना हेतु आदेशित किया गया है,के क्रम में अवगत कराना है कि घरेलू मल–जल के शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0)स्थापित करने हेतु नगर पालिका परिषद खलीलाबाद का एक मात्र सीवर नाला जो आमी नदी में प्रवाहित होता है। सीवेज शोधन प्लान्ट निर्माण हेतु ग्रामसभा चकपिहानी मे भूमिं उपलब्ध हो गयी हैं। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) निर्माण करने हेतु जल निगम द्वारा आगणन तैयार कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। पुनः उ0प्र0 जल निगम कार्यालय मुख्य अभियन्ता(गोरखपुर क्षेत्र) के द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण हेतु आगणन की स्वीकृति/धनावंटन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। धन आवंटित होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) का निर्माण कराया जायेगा एंव सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) का निर्माण न होने तक बायोरेमिडेशन कार्य को 14 वॉ वित्त आयोग की कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया गया है और टेन्डर की कार्यवाही की जा रही है।

अतः रिर्पोट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
खलीलाबाद,संतकबीरनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 – जिलाधिकारी महोदय संतकबीरनगर।
2 – अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय संतकबीरनगर।
3– अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद को इस आशय से कि अपने स्तर से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) निर्माण हेतु शासन से धन आवंटन कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
खलीलाबाद,संतकबीरनगर

Scanned with CamScanner

Annexure-5

कार्यालय–नगर पंचायत मगहर संतकबीरनगर

पत्रांक–1449 / न0प0 / 2020–21 दिनॉक– 21/9/2020

सेवामें,

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
ब्लाक रोड, बुद्वापुरम, बढ़ेबन बस्ती।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गोरखपुर एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या– एच 52904 / सी0–6 दिनांक 16.9.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,के द्वारा नगर पंचायत मगहर एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने हेतु मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय के साथ निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से सम्बन्धित विभागों की अनुपालन आख्या तथा यदि किसी कार्य को एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार करने में विलम्ब हुआ है,तो उसे विलम्ब का औचित्य अनुपालन आख्या स्पष्ट एस0टी0पी0 निर्माण की अद्यतन सूचना हेतु आदेशित किया गया है,के कम में अवगत कराना है कि घरेलू नल–जल के शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0)स्थापित करने हेतु नगर पंचायत मगहर का एक मात्र सीवर नाला जो आमी नदी में प्रवाहित होता है। सीवेज शोधन प्लान्ट निर्माण हेतु ग्रामसभा रेलवे स्टेशन के बगल मो0 गाधी आश्रम ने भूमि उपलब्ध हो गयी है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) निर्माण करने हेतु जल निगम द्वारा आगणन तैयार शासन को प्रेषित कर दिया गया है। पुनः उ0प्र0 जल निगम कार्यालय मुख्य अभियन्ता(गोरखपुर क्षेत्र) के द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण हेतु आगणन की स्वीकृति / धनावंटन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। धन आवंटित होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) का निर्माण कराया जायेगा एंव सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) का निर्माण न होने तक बायोरेमिडेशन कार्य को 14 वॉ वित्त आयोग की कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया गया है और टेन्डर की कार्यवाही की जा रही है।

अतः रिर्पोट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मगहर
संतकबीरनगर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 – जिलाधिकारी महोदय संतकबीरनगर।
2 – अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय संतकबीरनगर।
3– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद को इस आशय से कि अपने स्तर से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट(एस0टी0पी0) निर्माण हेतु शासन से धन आवंटन कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत मगहर
संतकबीरनगर

Scanned with CamScanner

Annexure-6

गीडा परिक्षेत्र में सी0ई0टी0पी0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27–07–2020 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थिति : –

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
3. उप जिलाधिकारी, सहजनवां, गोरखपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
5. श्री राम मिलन वर्मा, साईंटिफिक सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

आन लाईन उपस्थिति :–

1. डा0 गोविन्द पाण्डेय, आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. श्री अमित गुप्ता, कम्पनी सेक्रेटरी, लखनऊ।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा परिक्षेत्र में सी0ई0टी0पी0 स्थापित किये जाने हेतु दिनाँक–23–01–2020 को एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या में दिये गये सुझाव/टिप्पणियों के संबंध में मण्डलायुक्त महोदय, गोरखपुर की अध्यक्षता में सभी स्टेकहोल्डर्स की दिनाँक 12–06–2020 को बैठक सम्पन्न हुयी थी। बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम प्रगति आख्या निम्नांकित हैं:–

ROPCB

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा 55 प्रदूषणकारी जल उत्सर्जित करने वाली ईकाईयों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।
- कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा रेवेन्यू माडल उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रथम फेज में 07 एम0एल0डी0 क्षमता के सी0ई0टी0पी0 पर संचालन एवं अनुरक्षण में रू0 308.2 लाख के खर्च का अनुमान है तथा रू0 311.54 लाख का रेवेन्यू प्राप्त होने का अनुमान हैं।
- कम्पनी सेक्रेटरी श्री अमित गुप्ता द्वारा एस0पी0वी0 का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।
- एस0पी0वी0 निर्माण के लिये डायरेक्टर्स का चयन, रेवेन्यू माडल के आधार पर उद्यमियों से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना, एम0ओ0यू0 का प्रारूप तैयार कराया जाना, उद्योगों पर सी0ई0टी0पी0 के संचालन में आने वाला व्यय किस प्रकार भारित किया जाये, इत्यादि कार्य शेष है।
- श्री अमित गुप्ता, कम्पनी सेकेटरी द्वारा आन लाईन तरीके से प्रतिभाग करते हुये यह अवगत कराया गया कि एस0पी0वी0 तीन प्रकार की होती हैं–सार्वजनिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व, एवम् सार्वजनिक निजी स्वामित्व। एस0पी0वी0 नो प्राफिट नो लॉस माडल पर कार्य करेगी या प्राफिट अर्निंग होगी? इसमे डायरेक्टर्स कौन–कौन होगें? इन सभी तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि एस0पी0वी0 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, उप जिलाधिकारी सहजनवां एवम् एक उद्योग प्रतिनिधि समेत तीन डायरेक्टर्स का प्राविधान किया जाये।

Scanned with CamScanner

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा अवगत कराया गया कि एस0पी0वी0 नो प्राफिट नो लास के आधार पर कार्य करेगी एवम् सार्वजनिक निजी स्वामित्व की होगी। एस0पी0वी0 का प्रबन्धन एवम् नियंत्रण गीडा द्वारा किया जायेगा। एस0पी0वी0 गठित होने के पश्चात् उद्योग एवम् एस0पी0वी0 के मध्य सी0ई0टी0पी0 के संचालन में आने वाले व्यय को भारित करने हेतु एम0ओ0यू0 गठित किया जायेगा। एस0पी0वी0 का पर्यावरणीय पर्यवेक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
- डा0 गोविन्द पाण्डेय, द्वारा आन लाईन माध्यम से प्रतिभाग करते हुये यह अवगत कराया गया कि संचालन एवम् अनुरक्षण एजेंन्सी,एस0पी0वी0 एवम् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य एक एम0ओ0यू0 का निष्पादन किया जायेगा। एस0पी0वी0 द्वारा एक स्वतंत्र संचालन एवम् अनुरक्षण एजेंन्सी की नियुक्ति की जायेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघन पाये जाने की दशा में प्रबन्धन/एस0पी0वी0 की नवीन व्यवस्था कराये जाने का अधिकार होगा। पर्यावरणीय सम्परीक्षा वित्तीय सम्परीक्षा के साथ संयोजित होगी और उसका व्यय एस0पी0वी0 द्वारा वहन किया जायेगा। संचालन एवम् अनुरक्षण संस्था पर औद्योगिक इकाईयों के उत्प्रवाह की गुणवत्ता एवम् प्रवाह का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व होगा और अनुपालन न करने वाली इकाईयां का विवरण मासिक आधार पर उसके द्वारा राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड को प्रदान किया जायेगा। संचालन एवम् अनुरक्षण एजेन्सी द्वारा आउटलेट पैरामीटर एवम् प्रवाह दर का दैनिक आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा और अनुश्रवण के आकड़े नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट पैरामीटर का अनुश्रवण संचालन एवम् अनुरक्षण एजेन्सी द्वारा आई0टी0 आधारित संयोजन के माध्यम से आन लाईन भी किया जायेगा और आकड़े राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चौबीस घन्टे अवधि के निरन्तर आंकड़े अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।
- एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था लागू की जायेगी जिसमें औद्योगिक इकाई, राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड एवम् तृतीय पक्ष द्वारा सम्पन्न किया जाने वाला अनुश्रवण सम्मिलित होगी। एस0पी0वी0 द्वारा संचालन एवम् अनुरक्षण व्यय हेतु न्यूनतम 6 माह हेतु कार्पस फण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। एस0पी0वी0 एवम् सदस्य औद्योगिक इकाईयों के मध्य एक विधिक करार का निष्पादन किया जायेगा जिसमें उनके संबंधों एवम् आपसी दायित्वों का उल्लेख होगा। सी0ई0टी0पी0 परियोजना हेतु कास्ट रिकवरी फार्मुला समस्त औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्वीकार्य होगा एवम् उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- औद्योगिक इकाईयों के मध्य अपजल शोधन मूल्य का विभाजन उनके द्वारा उत्सर्जित उत्प्रवाह के बी0ओ0डी0 भार के समानुपातिक होगा। सी0ई0टी0पी0 के तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवम् परामर्शिता कार्य हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आई0आई0टी0 कानपुर, आई0आई0टी0(बी0एच0यू0), वाराणसी, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवम् राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नागपुर, के विशेषज्ञों की परामर्शिता सेवायें भी प्राप्त की जा सकती है। सी0ई0टी0पी0 द्वारा शोधन के पश्चात उत्तप्रवाह का प्रबधन गीडा परिक्षेत्र में ही औद्यानिक सिंचाई हेतु प्रयोग किया जायेगा और उसे किसी भी दशा में आमी नदी में प्रवाहित नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रदूषणकारी उद्योगों को आवंटित भूमि एवम् उनके द्वारा उत्सर्जित जल के आधार पर सी0ई0टी0पी0 के संचालन में आने वाले व्यय को उद्योगों पर भारित किया जाये।
- जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कहा गया कि इस संबंध में सभी प्रतिभागी उद्योगों के साथ लीगल एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये जाने के उपरान्त, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाये, जिससे कि उल्लंघन की दशा में उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जा सकें।
- मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा जल निगम को निर्देशित किया गया कि प्रस्तुत रेवेन्यू माडल में सी0ई0टी0पी0 से शोधित जल को किसानों एवम् उद्यमियों को विक्रय करने का प्राविधान किया गया है। चूकि गीडा परिक्षेत्र में भूमिगत जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती है इसलिए प्रस्तुत रेवेन्यू माडल को फिर से संशोधित करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जाये। उद्योगों पर सी0ई0टी0पी0 के संचालन में आने वाले व्यय को भारित करने एवम् उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये जाने की कार्यवाही प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा की जानी है। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाये।
- मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि, एन0एम0सी0जी0 के समस्त टिप्पणीयों/निर्देशों का निराकरण कराते हुये अनुपालन आख्या यथाशीघ्र एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया जाये।

(संजीव रंजन),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पत्रांक 931 /सी0ई0टीपी0–बैठक/2020–21 दिनांक 13 अगस्त, 2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर महोदय के अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर महोदय के सूचनार्थ।
3. उप जिलाधिकारी, सहजनवां, गोरखपुर।
4. डा0 गोविन्द पाण्डेय, आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
7. श्री अमित गुप्ता, कम्पनी सेक्रेटरी, लखनऊ।

(संजीव रंजन),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

Scanned with CamScanner

Annexure-7a

राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से.
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
Rajiv Ranjan Mishra, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

D.O. No. TE-12015/6/2018-TECH-4 NMCG Date: 01st September 2020

पत्रांक 1345/CPCB/एम एस कैम्प/2020
दिनांक 02/09/2020

Dear Sir,

Subject: DPR for setting up I&D works and construction of 15 MLD CETP at Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA), Gorakhpur Uttar-Pradesh-reg.

As you may be aware that a proposal for construction of 15 MLD Common Effluent Treatment Plant (CETP) at Gorakhpur Industrial Development Area (GIDA), Gorakhpur is under consideration of State government and this matter is also under consideration in NGT in O.A. No 116/2014 Mira Shukla vs Municipal Corporation Gorakhpur. The DPR for aforesaid project was also forwarded to NMCG for financial support under Namami Gange programme. The project was examined in NMCG including the observation during the site visit of project dated 23.1.2020.

2. There are 46 polluting units which generate around 864 KLD of effluent and the remaining 204 industries are dry process units generating approx 1.2 MLD of domestic sewage. Accordingly, the total mixed wastewater has been estimated as about 2.5 MLD. NMCG, therefore, suggested that the capacity of CETP as planned is on higher side and the project needs to be implemented in phased manner. The observations were duly conveyed vide letter dated 12.3.2020 to Project Director, State Mission for Clean Ganga; GIDA and response is awaited.

3. The matter has recently been reviewed at your level in a meeting dated 9.7.2020 wherein it has been suggested to seek financial support from NMCG for the project. The proposed I&D works and construction of 15 MLD CETP with estimated cost of Rs. 76.79 Crore has been proposed to be paid to the extent of Rs 20 Crore by Infrastructure & Industrial Development, Rs 17 Crore by GIDA and balance Rs. 39.79 crore by NMCG.

4. I write this to request that GIDA may review the capacity of CETP based on consented capacity and generation of effluent from industries in industrial area before any cost estimates for the project is arrived. A revised DPR as above may thereafter be submitted for further consideration.

C-6

With Regards

Yours sincerely

(Rajiv Ranjan Mishra)

01/09/2020

Shri Rajendra Kumar Tiwari, IAS
Chief Secretary,
Uttar-Pradesh Government
101, Lok Bhawan, U.P. Civil Secretariat,
Vidhan Sabha Marg,
Lucknow - 226001

TC
2/9

Imp
3/9/2020
SA/CT

Scanned with CamScanner

Annexure 7.6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 153035 /सी-6/ आ0/279/G.K.P./2020 Dated 21.9.2020

ई-मेल द्वारा
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा),
गोरखपुर।

Sub. DPR for setting up I&D works and construction of 15 MLD CETP at Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) Gorakhpur Uttar Pradesh-reg.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महा निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र TE-12015/6/2018-TECH-4NMCG दिनांक 01.09.2020 जो कि मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र की छाया प्रति संलग्न) उक्त पत्र में उल्लिखित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

I write this to request that GIDA may review the capacity of CETP based on consented capacity and generation of effluent from industries in industrial area before any cost estimates for the project is arrived. A revised DPR as above may there after be submitted for further consideration.

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तावित CETP की स्थापना के संबंध में संशोधित DPR तैयार कराकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.com

Scanned with CamScanner

अनुस्मारक– III

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
गोरखपुर

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

पत्रांकः 2843/मु0अभि0/चार–सा0नि0वि0/2020–21 दिनांकः 30/07/2020

विषय :– म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2238/मु0अभि0/चार–सा0नि0वि0/2019–20, दिनांक 24.12.2020 एवं 2359/मु0अभि0/चार–सा0नि0वि0/2019–20, दिनांक 24.01.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे अवगत कराया गया था कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स – 2016 के अनुसार गोरखपुर शहर के कूड़े का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में नगर निगम के पास उक्त कार्य हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हेण्डलिंग) रूल्स – 2000 के शिड्यूल III (1.) के अनुसार "In areas falling under the jurisdiction of 'Development Authorities' it shall be the responsibility of such Development Authorities to identify the landfill sites and hand over the sites to the concerned municipal authority for development, operation and maintenance. Elsewhere, this responsibility shall lie with the concerned municipal authority".

इसी प्रकार म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स – 2016 के शिड्यूल – I. A(i) के अनुसार "The department in the business allocation of land assignment shall provide suitable site for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites."

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स – 2016 शिड्यूल I. A(viii) के अनुसार "The sites for landfill and processing and disposal of solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans".

इस प्रकार म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने तथा उसे मास्टर प्लान में सम्मिलित किये जाने का दायित्व गोरखपुर विकास प्राधिकरण का है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स – 2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार गोरखपुर में कम से कम 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शहर के ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से कराया जा सके।

भवदीय,

(अंजनी कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. मा0 महापौर महोदय, नगर निगम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलायुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सूचनार्थ।

29/07/2020
(अंजनी कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

Scanned with CamScanner

Annexure-8b

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 452903 /सी–6/ Dated 16.9.2020

ई–मेल द्वारा मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गोरखपुर।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–एन0जी0टी0–313/81–7–2020–44 (रिट)/2016 टी0सी0–2 दिनांक 03.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करें (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा नगर निगम गोरखपुर द्वारा लैण्ड फिल साइट/प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना कर नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित विभागों की अनुपालन आख्या तथा यदि किसी कार्य को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार करने में विलम्ब हुआ है तो उस विलम्ब का औचित्य अनुपालन आख्या में स्पष्ट करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करते हुए उसकी प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करें।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा लैण्ड फिल साइट/प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण अभी तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। अवगत हों कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य तथा ओ0ए0सं0–437/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 से आच्छादित है, जिसमें मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को दिनांक 30.09.2020 तक अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी हैं।

अतः प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि लैण्ड फिल साइट/प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः

4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-9a

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. G-32990/C-6/स-273/नगरनिगम गोरखपुर/2020 Dated 24/6/2020

E-Mail.

सेवा मे,

अनुसचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः श्री बद्रीनाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को छोड़कर अन्य नगर आयुक्तों नगर निगम गोरखपुर के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक 1209/81–6–2019–118(पर्या)/2017 दिनांक 10.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में श्री बद्री नाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के नगर निगम, गोरखपुर में उनके तैनाती कार्यकाल दिनांक 03.06.2017 के पश्चात् नगर निगम, गोरखपुर में तैनात अन्य तत्कालीन नगर आयुक्त के नाम व पते एवं उनके कार्य अवधि का विवरण/सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 को तत्काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त के संबंध में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से सूचना प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बद्री नाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को छोड़कर अन्य नगर आयुक्तों नगर निगम, गोरखपुर के नाम एवं कार्य अवधि निम्नानुसार है।

क्र0सं0	नाम	कार्य अवधि
1.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	03.06.2017 से 31.10.2018
2.	श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन	01.11.2018 से 17.02.2019
3.	श्री अनजनी कुमार सिंह	17.02.2019 से अब तक

उपरोक्त नगर आयुक्तों में से श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन का कार्यकाल अत्यन्त अल्प है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवं श्री अनजनी कुमार सिंह के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के आज्ञापक प्राविधानो के अन्तर्गत अभियोजनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

ई-मेल

Annexure-9b

संख्या– 4440/81–6–2020–118(पर्या)/2017

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक 1081 / एम एस कैम्प/20
दिनांक 24-7-2020

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6 लखनऊ:: दिनांक:23 जुलाई, 2020

विषय–श्री बद्रीनाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को छोड़कर अन्य नगर आयुक्तों नगर निगम गोरखपुर के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या–जी–32990/सी–6/सा–273/नगर निगम गोरखपुर/2020, दिनांक 24.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त पत्र के परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम–22 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और स्वास्थ्य कर भरण स्थल सुविधाओं के लिये उपयुक्त स्थलों का उपायन 02 वर्ष के अंतर्गत किये जाने की समय सीमा का उल्लेख है, और श्री बद्रीनाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का कार्यकाल दिनांक 03.06.2017 के पश्चात अन्य नगर आयुक्तों का है। यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन नगर आयुक्त, श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन का कार्यकाल अत्यंत अल्प (दिनांक 01.11.2018 से 17.02.2019) होने का उल्लेख करते हुये उनके विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों के अंतर्गत अभियोजनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है, जबकि नियमानुसार उत्तरदायी अधिकारी दिन–प्रतिदिन के कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं, और इस संबंध में श्री पाण्डियन का कार्यकाल लगभग 04 माह हो रहा है। अतः उक्त अवधि हेतु इन्हे उत्तरदायित्व से मुक्त किये जाने का कोई स्पष्ट साक्ष्य सहित औचित्य नहीं बताया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के कम में तत्काल रिथति स्पष्ट करते हुये सुविचारित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

CEOCC-6
23/07/20
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

TC
24/7/2020

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

Annexure - 9 C

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 133640/सी–6/ 2510- 2713/ सं० सि० बो०/2240/20 Dated 11-9-20

ई–मेल द्वारा

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः श्री बद्रीनाथ सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर को छोड़कर अन्य नगर आयुक्तों नगर निगम गोरखपुर के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक–440/81–6–2020–118(पर्या)/2017 दिनांक 23.07.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन द्वारा श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन, तत्कालीन नगर आयुक्त को उत्तरदायित्व से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सुविचारित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अवगत होगें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा लैण्ड फिल साइट, वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट आदि की स्थापना करने में समय लगता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना विभिन्न प्रकार के संयंत्रों का क्रय, टेन्डरिंग एवं वर्क ऑर्डर प्लेस करने की प्रकिया में समय लगता है। तत्कालीन नगर आयुक्त, श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन का कार्यकाल अत्यन्त अल्प (दिनांक 01.11.2018 से दिनांक 17.02.2019) लगभग 3.5 माह रहा है। अतः तत्कालीन नगर आयुक्त, श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन का प्रश्नगत प्रकरण में उनका उत्तरदायित्व नही बनता है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन नगर आयुक्त, श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही नही किये जाने की पुनः संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

CEO

emailed
11/09/2020
Lalit Singh

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H33361/सी-6/ B.M.W./02/G.K.P/2020 Dated 29-9-2020

ई-मेल द्वारा
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः-मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2018, 07.03.2019, 29.04.2019 एवं 27.09.2019 के अनुपालन में मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को बोर्ड में जमा करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.42253/सी-6/बी0एम0डब्ल्यू0/2/गोरखपुर/2019 दिनांक-01.10.2019 एवं एच.42756सी-6/बी0एम0डब्ल्यू0/2/गोरखपुर/2019 दिनांक-18.10.2019 जो कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर को संबोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्रो की छाया प्रति संलग्न)उक्त पत्रों के माध्यम से मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर को निर्देशित किया गया था कि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में 01 सप्ताह के अन्दर जमा करें। मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर द्वारा अभी तक उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड में जमा नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक/राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जा सके एवं मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गोरखपुर से अनुरोध कर मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को बोर्ड में जमा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.com

Scanned with CamScanner

Annexure-II

Point wise Updated status regarding Hon'ble NGT order dated 16-06-2020 in O.A 116/2014 (Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur &Ors)

S. No	Direction	Updated Status
2	No interim measures for the treatment of the waste water in drains and sewages have been made yet. NGT has mandated that bioremediation and / or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01-04-2020 failing which the state may be liable to pay compensation of Rs.5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB.	Out of 15 major drains falling directly into River Rapti and River Rohini 10 major drains are proposed for bioremediation/phytoremediatio by Urban Development Department, GoUP, under AMRUT which is to be executed by NEERI, Nagpur through RCEUS Lucknow. Local Jal Nigam office dose not have any experience/ nexpertise of bioremediatio/ phytoremediation, hence it will be better that bioremediation /phytoremediation of untapped drains falling directly in River Rapti, River Rohini and Ramgarhtal Lake should also be executed by NERRI as an interim /short term measure.
5	There are a large number of drains going untapped in Ramgarh Taal. The state would do well to plan STPs for these drains. As an interim measure bioremediation/ phytoremediation of all these drains shall be started immediately.	Out of 24 drains 6 major drains which were falling directly in Ramgarhtal have been intercepted, diverted and being treated in 2 Nos STPs (15 MLD and 30 MLD capacity). Rest 18 minor drains are falling directly in Ramgarhtal. Out of this 18 minor drains 7 are falling directly in Ramgarhtal from its Eastern side having total discharge as 5.463 MLD, which will be taken care under on going project of " Gorakhpur sewerage Scheme, Zone A-1 Southern Part under "AMRUT" upto 06/2021 Remaining 11 minor drains (Having total discharge 1.357 MLD) faling directly in Ramgarhtal from its Northern side are proposed to be Intercepted, Diverted under sent project (Amounting Rs. 34.82 crore) of "Construction of earthen bund and intercepting sewer line at Northern side of Ramgarhtal from Paidleyganj to R.K.B.K. Maruti Show Room" approval of which is awaited from GoUP.Under this project discharge of above 11 drains will be treated at 30 MLD existing STP. Local Jal Nigam office does not have any experience/ expertise of bioremediation/phytoremediation, hence it will be better that bioremediation /phytoremediation of untapped drains falling directly in Ramgarhtal Lake should also be executed by NEERI, Nagpur through RCEUS Lucknow as an interim /short term measure.

General Manager
U.P. Jal Nigam
Gorakhpur

Project Manager
Construction Unit,U.P. Jal Nigam
Gorakhpur

Counter signed

Chief Engineer
U.P. Jal Nigam, Goarakhpur

Scanned with CamScanner

Annexure - 12

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H53364/सी–6/ B.M.W./02/G.K.P/2020 Dated 29-9-2020

ई–मेल द्वारा

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2018, 07.03.2019, 29.04.2019 एवं 27.09.2019 के अनुपालन में मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को बोर्ड में जमा करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.42253/सी–6/बी0एम0डब्ल्यू0/2/गोरखपुर/2019 दिनांक–01.10.2019 एवं एच.42756सी–6/बी0एम0डब्ल्यू0/2/गोरखपुर/2019 दिनांक–18.10.2019 जो कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर को संबोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्रो की छाया प्रति संलग्न)उक्त पत्रों के माध्यम से मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर को निर्देशित किया गया था कि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में 01 सप्ताह के अन्दर जमा करें। मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर द्वारा अभी तक उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड में जमा नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.415 करोड़ (रू चार करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक/राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराया जा सके एवं मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि।

(आशीष तिवारी)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी गोरखपुर से अनुरोध कर मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (नेहरू चिकित्सालय) गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को बोर्ड में जमा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure 17

Ref. No. H 45016 / सी-6 / जल / 318 / GKP / 2019 Dated 17.12.2019

माo एनoजीoटीo प्रकरण
पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स भारती रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्म, एफ0एल0–27, सेक्टर–13, गीडा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 42244 / सी–6 / जल / 318 / गोर0 / 2019 दिनांक 01.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित रूपये 6.1125 लाख (रू0 छः लाख ग्यारह हजार दो सौ पच्चास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0 0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक एच 42760 / सी–6 / जल / 318 / गोर0 / 2019 दिनांक 18.10.2019 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु अभी तक उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 6.1125 लाख (रू0 छः लाख ग्यारह हजार दो सौ पच्चास मात्र) की भूराजस्व की भॉति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure 13/2
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H49229/C-6/ जल/318/G.K.P/2020   Dated 19-5-2020

अनुस्मारक
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स भारती रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्म, एफ0एल0–27, सेक्टर–13, गीड़ा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45046/सी–6/जल सहमति/318/गोरखपुर/2019 दिनांक 17.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 6.1125 लाख (रू0 छः लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास मात्र) की भूराजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure 13/3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H50960/C-6/संह्यारेट जल/318/20 Dated 14/7/2020

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक–2

सेवा,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषय : मैसर्स भारती रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्म, एफ0एल0–27, सेक्टर–13, गीडा, गोखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45046/सी–6/जल/318/गोरखपुर/2019 दिनांक 17.12.2019 एवं एच.49228/सी–6/जल/318/जी0के0पी0/2020 दिनांक 19.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 6.1125 लाख (रू0 छः लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। उक्त धनराशि की अभी तक वसूली किये जाने की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में उक्त प्रकरण से संबंधित पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

6. "As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 6.1125 लाख (रू0 छः लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास मात्र) की भूराजस्व की भाँति तत्काल वसूली कराने का कष्ट करें।

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में उद्योग से उक्त धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उद्योग के संचालित न होने देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिलाधिकारी गोरखपुर से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Ref. No H42566/सी-6/जल प0 गोर0/330/2019 Dated 17.12.19

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
पंजीकृत

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स मॉ विन्ध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज (पूर्व नाम मदर श्री डेरी), डी0–1/3डी, सेक्टर–13, गीडा, सेक्टर–13, गीडा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 42245/सी–6/जल/330/गोर0/2019 दिनांक 01.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित रूपये 8.40 लाख (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0 0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 8.40 लाख (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) की भूराजस्व की भॉति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः
1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-14/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H49224/C-6/जल/330/G.K.P/2020 Dated 19-5-2020

अनुस्मारक
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

विषयः भेसर्स मां विन्ध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज (पूर्व नाम मदर श्री डेरी) डी0–1/3डी, सेक्टर–13, गीड़ा सेक्टर–13, गीड़ा गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45044/सी–6/जल सहमति/330/2019 दिनांक 17.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 8.40 लाख (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) की भूराजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-14/3

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H 51951/C-6/सहमति जल/330/GKP/20 Dated 11-9-2020

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक–2

सेवा,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषय : मेसर्स मां विन्ध्यवासिनी इण्डस्ट्रीज (पूर्व नाम मदर श्री डेरी) डी0–1/3डी, सेक्टर–13, गीडा, गोखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45044/सी–6/जल सहमति/330/गोरखपुर/2019 दिनांक 17.12.2019 एवं एच.49224/सी–6/जल/330/जी0के0पी0/2020 दिनांक 19.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 8.40 लाख (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। उक्त धनराशि की अभी तक वसूली किये जाने की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में उक्त प्रकरण से संबंधित पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

6. "As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 8.40 लाख (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) की भूराजस्व की भाँति तत्काल वसूली कराने का कष्ट करें।

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में उद्योग से उक्त धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उद्योग के संचालित न होने देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिलाधिकारी गोरखपुर से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. ..../सी-6/जल/314/2019 Dated 17/12/19

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
पंजीकृत

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स अल्केन कॉस्ट्रक्शन इक्यूपमेन्ट प्रा0लि0, एफ0एल0-24, सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भॅति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 42248/सी-6/जल/314/गोर0/2019 दिनांक 01.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित रूपये 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0 0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक एच 42758/सी-6/जल/314/गोर0/2019 दिनांक 18.10.2019 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु अभी तक उद्योग द्वारा पर्यावरणींय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की भूराजस्व की भॉति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,
16.12
(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपिः

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16.12
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-15/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H49225/C-6/जल/314/G.K.P/2020 Dated 19-5-2020

ई-मेल द्वारा

मा० एन०जी०टी० प्रकरण आख्या

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

विषयः मेसर्स अल्केन कान्स्ट्रक्शन इक्यूपमेन्ट प्रा०लि०, एफ०एल०–01, सेक्टर–13, गीड़ा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45045/सी–6/जल सहमति/314/2019 दिनांक 17.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की भूराजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(एन0के0 चौहान)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-15/3
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H50951/C-6/सहमति जल/318/ओ0/20 Dated 14-7-2020

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
अनुस्मारक–2

सेवा,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषय : मैसर्स अल्केन कान्स्ट्रक्शन इक्यूपमेन्ट प्रा0लि0, एफ0एफ0–01, सेक्टर–13, गोखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45045/सी–6/जल/314/2019 दिनांक 17.12.2019 एवं एच.49225/सी–6/जल/314/जी0के0पी0/2019 दिनांक 19.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। उक्त धनराशि की अभी तक वसूली किये जाने की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में उक्त प्रकरण से संबंधित पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

6. "As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीय हजार मात्र) की भूराजस्व की भाँति तत्काल वसूली कराने का कष्ट करें।

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में उद्योग से उक्त धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उद्योग के संचालित न होने देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिलाधिकारी गोरखपुर से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H/45017/सी–6/जल सहा/327/2019 Dated 17/12/19

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
पंजीकृत

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स बर्नेट फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, ए0एल0–01, सेक्टर–13, गीडा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 42247/सी–6/जल/327/गोर0/2019 दिनांक 01.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित रूपये 12.875 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0 0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक एच 42757/सी–6/जल/327/गोर0/2019 दिनांक 18.10.2019 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु अभी तक उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 12.875 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार पॉच सौ पच्चास मात्र) की भूराजस्व की भॉति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः
1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

-45.

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-16/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H49226/C-6/जल/327/RC-8/2020 Dated 19-5-2020

अनुस्मारक
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर।

विषयः <u>मेसर्स बर्नेट फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, ए0एल0–01, सेक्टर–13, गीड़ा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45042/सी–6/जल सहमति/327/2019 दिनांक 17.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 12.875 लाख (रू0 बाहर लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की भूराजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरंण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-16/3
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H50949 / C-6 / [illegible] जल / 327 / 20 Dated 14-7-2020

मा० एन०जी०टी० प्रकरण
अनुस्मारक–2

सेवा,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषय : मेसर्स बर्नेट फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि०, ए०एल०–01, सेक्टर–13, गोखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45042 / सी–6 / जल / 327 / 2019 दिनांक 17.12.2019 एवं एच.49226 / सी–6 / जल / 327 / जी०के०पी० / 2020 दिनांक 19.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 12.875 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। उक्त धनराशि की अभी तक वसूली किये जाने की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में उक्त प्रकरण से संबंधित पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

6. "As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 12.875 लाख (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की भूराजस्व की भाँति तत्काल वसूली कराने का कष्ट करें।

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में उद्योग से उक्त धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उद्योग के संचालित न होने देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिलाधिकारी गोरखपुर से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

CEO

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-17

Ref. No. H/42250/3 /सी–6/जल सह्मति 328/GKP/2019 Dated 12/12

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स गोरखनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, एफ0एल0–26/27, सेक्टर–13, गीडा, गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भॉति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच 42250/सी–6/जल/328/गोर0/2019 दिनांक 01.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित रूपये 10.1875 लाख (रू0 दस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पच्चास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0सी0 कोड यू0वी0आई0एन0 0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये थे (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक एच 42759/सी–6/जल/329/गोर0/2019 दिनांक 23.10.2019 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु अभी तक उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 10.1875 लाख (रू0 दस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पच्चास मात्र) की भूराजस्व की भॉति वसूली करने का कष्ट करें, जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-17/2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H49227/C-6/जल/328/E.कं./2020 Dated 19-5-2020

अनुस्मारक
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषयः मेसर्स गोरखनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, एल0एफ0–26/27, सेक्टर–13, गीड़ा गोरखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45043/सी–6/जल सहमति/328/2019 दिनांक 17.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 10.1875 लाख (रू0 दस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की भूराजस्व की भाँति वसूली करने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure - 17/3
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H50953/C-6/सहमति/जल/328/GKP/20 Dated 11-9-2020

मा० एन०जी०टी० प्रकरण
अनुस्मारक–2

सेवा,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

विषय : मेसर्स गोरखनाथ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, एफ०एल०–26/27 सेक्टर–13, गीडा, गोखपुर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.45043/सी–6/जल सहमति/328/गोरखपुर/2019 दिनांक 17.12.2019 एवं एच.49227/सी–6/जल/328/जी०के०पी०/2020 दिनांक 19.05.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने कर कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 10.1875 लाख (रू० दस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अनुरोध किया गया था। उक्त धनराशि की अभी तक वसूली किये जाने की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए०सं०–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में उक्त प्रकरण से संबंधित पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

6. "As far as polluting industries are concerned, we have been informed by SPCB that production has been stopped in such units, prosecution has been recommended and RC has been issued against all such units. As per SPCB, only such units have been permitted which have deposited the EC and are complying with the norms. SPCB may be directed to continuously monitor such units."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 10.1875 लाख (रू० दस लाख अट्ठारह हजार सात सौ पचास मात्र) की भूराजस्व की भाँति तत्काल वसूली कराने का कष्ट करें।

मा० अधिकरण के उक्त आदेश के अनुक्रम में उद्योग से उक्त धनराशि की भूराजस्व की भाँति वसूली किये जाने के पश्चात् ही बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग को संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उद्योग के संचालित न होने देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिलाधिकारी गोरखपुर से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-18-a

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H-52932/सी–6/सहमति जल/109/बन्दी निर्देश/बस्ती/2020 दिनांक 16/09/202
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी इकाई),
ग्राम–अठदमा, तहसील–रूधौली,
जनपद–बस्ती।

यह कि मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम–अठदमा, तहसील–रूधौली, जनपद–बस्ती जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस का प्रयोग कर रेक्टीफाइड स्प्रीट एवं पॉवर एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम–अठदमा, तहसील–रूधौली, जनपद–बस्ती का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2020 को किया गया निरीक्षण के समय उद्योग स्वयं के कारणों से उत्पादनरत नहीं पाया गया। उद्योग एक आसवनी इकाई है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस, यीस्ट, यूरिया आदि का प्रयोग रेक्टीफाइड स्प्रीट एवं पॉवर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था के अन्तर्गत मल्टी इफेक्ट इबापोटेर तथा स्लाप/इन्सीनिरेशन ब्यायलर स्थापित है। उद्योग से जनित अल्प प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कंडनसेट पॉलीशिंग यूनिट स्थापित है।

यह कि पूर्व में उद्योग द्वारा जनित स्प्रेन्टवाश को इकाई परिसर के मुख्य गेट के बाहर स्थित बायोकम्पोस्ट यार्ड, लाइण्ड लैगून–03 क्रमशः 24000 किली0, 12000 किली0 तथा 4000 किली0 धारक क्षमता में भण्डारित कर बायोकम्पोस्ट एरिया में चीनी मिलों से प्राप्त प्रेस मड की विण्डरोज बनाकर एम0ई0ई0 से सान्द्रित स्पेण्टवाश का छिड़काव करते हुए बायो कम्पोस्टिंग को निर्मित किये जाने का कार्य किया जाता था।

यह कि इकाई के कम्पोस्टिंग एरिया–32 एकड़, स्पेण्टवाश/लीचेट मिश्रित वर्षा के पानी से पूर्ण रूपेण भरा हुआ पाया गया एवं स्पेण्टवाश भण्डारण हेतु उद्योग में स्थापित 03 लाइण्ड लैगेन भी स्पेण्टवाश/स्लज से पूर्ण रूपेण भरे हुए पाये गये। बायोकम्पोस्ट यार्ड जो कि दो भागों में है तथा बायोकम्पोस्टिंग एरिया के मध्य से सतनरिया नाला गुजरता है। उक्त दोनों बायोकम्पोस्ट यार्ड में स्पेण्टवाश/लीचेट मिश्रित वर्षा का पानी पूर्ण रूपेण भरा हुआ पाया गया।

यह कि आसवनी इकाई द्वारा लैगूनों में भण्डारित स्पेण्टवाश का पूर्ण रूपेण इन्सीनिरेटर व एम0ई0ई0 के द्वारा समाप्त/भस्मीकरण न कर मात्र अपनी इकाई में रेक्टीफाइड स्प्रीट एवं पॉवर एल्कोहल के उत्पादन का ही कार्य किया जा रहा है। भण्डारित स्पेन्टवाश को पूर्ण रूपेण मल्टी इफेक्ट इबापोरेटर तथा इन्सीनिरेशन ब्यायलर में भस्मीकरण किये जाने में कोई रूचि, कार्यवाही एवं ध्यानाकर्षण नहीं किया जा रहा है। इकाई की भौगोलिक स्थित को दृष्टिगत रखते हुए जिसमें इकाई के बायोकम्पोस्टिंग एरिया के बीचो–बीच बह रहे सतनरिया नाला जो अंततः आमी नदीं में मिलता है में किसी प्रकार औद्योगिक/प्रदूषित रंगीन उत्प्रवाह निस्तारित न हो एवं इकाई द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किया जाये, इस हेतु उद्योग को निम्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है :–

- इस कार्यालय के पत्रांक एच.30150/सी–6/सहमति जल/109/बस्ती/18 दिनांक 24.01.2018 में यह उल्लिखित है कि यह बन्दी आदेश निलबंन केवल मल्टी इफेक्ट इबापोरेटर के संचालन एवं बायो कम्पोस्टिंग किये जाने हेतु 03 माह हेतु विधि मान्य है।
- इस कार्यालय के पत्रांक एच.47131/सी–6/जल/109/बस्ती/18 दिनांक 03.02.2020 में यह उल्लिखित है कि उद्योग में स्थापित 24000किली0 एवं 12000किली0 क्षमता के स्पेण्टवाश स्टोरेज लैगूनों को तत्काल ध्वस्त/समाप्त किया जाये।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

- इस कार्यालय के पत्रांक एन.50811/सी-6/सहमति जल/109/निक्षेप/ बस्ती/20 दिनांक 09.07. 2020 में यह उल्लिखित है कि उद्योग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पूर्व लाइण्ड लैगून में भण्डारित स्पेण्टवाश को इन्सीनिरेटर/स्लाप ब्वायलर में भस्मीकरण किया जाये। उद्योग द्वारा पूर्व में स्थापित 02 बड़े लैगूनों के ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जाये।
- इस कार्यालय के पत्रांक 87601/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/water/ BASTI/ 2020 दिनांक 29.02. 2020 के बिन्दु सं0-10 में यह उल्लिखित है कि "The industry shall submit the action plan for dismantle/removal of biocompost yard and spentwash storage lagoon capacity 24000KL, 12000KL & 4000KL"।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इकाई के स्पेण्टवाश स्टोरेज लैगून धारक क्षमता 24000 किली0 में 24000 किली0, 12000 किली0 धारक क्षमता में 12000 किली0 तथा 4000 किली0 धारक क्षमता में 4000 किली0 स्पेण्टवाश/स्लज भरा हुआ पाया गया। तीनों लाइण्ड लैगूनों में धारक क्षमता के सापेक्ष पूर्ण रूपेण स्पेण्टवाश/स्लज भरा हुआ हैं तथा बायोकम्पोस्ट यार्ड-32 एकड़ जोकि दो भागों में एवं बायोकम्पोस्ट यार्ड के बीचो-बीच सतनरिया नाला गुजरता है। जोकि अंततः आमी नदी में मिलता है। उक्त बायो कम्पोस्टिंग यार्ड में स्पेण्टवाश/लीचेट मिश्रित वर्षा जल से भरा हुआ हैं। इकाई के उक्त प्रदूषित रंगीन उत्प्रवाह के सतनरिया नाले में जाने की संभावना बनी हुई है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में उक्त उत्प्रवाह अंततः आमी नदी में बहने के संभावना है।

ज्ञातव्य है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आमी नदी के प्रदूषण का प्रकरण विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि उद्योग मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम-अठदमा, तहसील-रूधौली, जनपद-बस्ती में उत्पादन कार्य तब तक बन्द किया जाता है जब तक कि उद्योग में स्थापित स्टोरेज लैगून एवं बायो कम्पोस्टिंग यार्ड को पूर्ण रूप से समाप्त/डिस्मेन्टल करने के पश्चात् पुनः उत्पादन हेतु बोर्ड से अनुमति प्राप्त न कर ली जाये।
2. यह कि स्टोरेज लैगून में भरे हुए स्पेण्टवाश को भस्मीकरण हेतु मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर एवं स्लाप ब्वायलर को संचालित कर उसे शून्य कर लिया जाये।
3. यह कि उद्योग मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी इकाई), ग्राम-अठदमा, तहसील-रूधौली, जनपद-बस्ती अवशेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 48.2 लाख उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में 01 सप्ताह में जमा किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बन्दी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2 जिलाधिकारी, बस्ती।
3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
4 अधिशाषी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बस्ती।
5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ कि उद्योग को जारी बन्दी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उद्योग के विरूद्ध अवशेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

Scanned with CamScanner

Annexure-18 b

मैं0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी ईकाई) ग्राम अठदमा, तहसील रूधौली, जनपद बस्ती को जारी उत्पादन बन्दी आदेश / निर्देश पत्रांक संख्या एच–52932/सी–6/ सहमति जल /109/बन्दी निर्देश/ बस्ती/2020 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आख्या।

कृपया मैं0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (आसवनी ईकाई) ग्राम अठदमा, तहसील रूधौली, जनपद बस्ती को बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या एच–52932/सी–6/ सहमति जल /109/बन्दी निर्देश/ बस्ती/2020 दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित की धारा – 33ए के अन्तर्गत उत्पादन बन्दी आदेश / निर्देश जारी किये गए हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दि0 17.09.2020 को इकाई प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कुमार मलिक, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेन्ट, आबकारी विभाग के प्रतिनिधि तथा राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इकाई के फरमन्टरों में मोलासेस (शीरा) के फीडिंग पम्पों को सील करते हुए इकाई का औद्योगिक उत्पादन रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं पावर अल्कोहल – 160 कि0ली0/दिन को बन्द कराया गया। आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2020 को डिस्टिलेशन कार्य भी पूर्णतया बन्द करा दिया गया। आसवनी इकाई को जारी उत्पादन बन्दी आदेश / निर्देश के अनुपालन में उत्पादन बन्दी कराई गई।

अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

18/09/2020	18.09.2020	18/9/2020
(पराशर कुमार पाण्डेय) प्रयोगशाला सहायक उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड बस्ती	(अरूण कुमार श्रीवास्तव) वैज्ञानिक सहायक उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड बस्ती	(जितेन्द्र कुमार मलिक) ए0 वी0 पी0 बी0एच0एस0एल0 (आसवनी) रूधौली, बस्ती
18.9.20	18/09/2020	18-9-2020
(असलम अली सिद्दीकी) आबकारी निरीक्षक रूधौली आसवनी बस्ती	(सन्तोष कुमार) सहा0पर्या0अभियन्ता उ0प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड बस्ती	(कुमार प्रभात चन्द्र) सहायक आबकारी आयुक्त रूधौली आसवनी बस्ती

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Annexure-19D

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 133335 /सी-6/एन-52/O.A.N-116/2014/2020 Dated 29-7-2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यवृत्त वृत्त की प्रति संलग्न है। उक्त बैठक में ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य तथा ओ0ए0 437/2015 के अन्तर्गत माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैः–

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा उक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्यवाही विलम्बतम एक माह में पूर्ण कर ली जाये"।

उपरोक्त निर्णय के अनुकम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित रेड कैटेगरी (89 Nos.- Industry Sector-Types) एवं ऑरेन्ज कैटेगरी (104 Nos.- Industry Sector-Types) के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की सूची इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया निवेश मित्र पोर्टल पर कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्णयों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

List of Red, Orange, Green and White category industries as per CPCB Directions

1. Red Category Industries-89 Nos.

Sr. No.	Type code	Industry sector-Types	Reference
1.	1001	Isolated storage of hazardous chemicals (as per schedule of manufacturing, storage of hazardous chemicals rules ,1989 as amended)	
		[illegible] **or combination of polluting activities namely washing, metal surface finishing operations, pickling, plating, electroplating, phosphating, painting, heat treatment etc. Heavy Engineering and ship building are merged in this category**	Annexure
3.	1003	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 - Items namely - Spent cleared metal catalyst containing copper, Spent cleared metal catalyst containing zinc	
4.	1004	Manufacturing of lubricating oils ,grease and petroleum based Products	
5.	1005	DG Set of capacity ≥ 5 MVA	
6.	1006	Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black	
7.	1007	Lead acid battery manufacturing (excluding assembling and charging of lead acid battery in micro scale)	
8.	1008	Phosphate rock processing plant	
9.	1009	Power generation plant (except Wind and Solar renewable power plants of all capacities and Mini Hydel power plant of capacity <25MW)	
10.	1010	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 - Items namely - Spent catalyst containing nickel, cadmium, Zinc, copper, arsenic, vanadium and cobalt	
11.	1011	Processes involving chlorinated hydrocarbons	
12.	1012	Sugar (excluding Khandsari)	
13.	1013	Fibre glass production and processing (excluding moulding) including lead containing glass	
14.	1014	Fire crackers manufacturing and bulk storage facilities	
15.	1015	Industries engaged in recycling /reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM)rules, 2008 - Items namely -Dismantlers Recycling Plants --Components of waste electrical and electronic assembles comprising accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, activated glass cullets from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors or any other component contaminated with Schedule 2 constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, poly-chlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part C of this Schedule.	

Scanned with CamScanner

16.	1016	Milk processes and dairy products(integrated project) (Large & Medium scale)	O-24
17.	1017	Phosphorous and its compounds	
18.	1018	Pulp & Paper (waste paper based without bleaching process to manufacture Kraft paper)	
19.	1019	Coke making , liquefaction, coal tar distillation or fuel gas making	
20.	1020	Manufacturing of explosives, detonators, fuses including management and handling activities	
21.	1021	Manufacturing of paints varnishes, pigments and intermediate	
22.	1022	Organic Chemicals manufacturing	
23.	1023	Airports and Commercial Air Strips **having waste water generation 100 KLD and above**	O-84
24.	1024	Asbestos and asbestos based industries	
25.	1025	Basic chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacturing of acid	
26.	1026	Cement	
27.	1027	Chlorates, per-chlorates & peroxides	
28.	1028	Chlorine, fluorine, bromine, iodine and their compounds	
29.	1029	Dyes and Dye- Intermediates	
30.	1030	Health-care Establishment (as defined in BMW Rules) having incinerator irrespective of waste generation **(or) having total waste water generation 100 KLD and above**	O-85
31.	1031	Hotels having overall waste water generation @ 100 KLD and more **(or) having rooms 100 and above**	O-38
32.	1032	Industries engaged in recycling /reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 -Items namely -Lead acid battery plates and other lead s crap/ashes/residues not covered under Batteries(Management and Handling) Rules,2001. [* Battery scrap, namely: Lead battery plates covered by ISRI, Code word "Rails" Battery lugs cove red by ISRI, Code word "Rakes ".Scrap drained/dry while intact, lead batteries covered by ISRI, Code word "rains "	
33.	1033	Industries engaged in recycling /reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008	
		electrical and electronic assembles comprising accumulators and other batteries included on list A, mercury switches, activated glass cullets from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors or any other component contaminated with Schedule 2 constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, poly chlorinated	

Scanned with CamScanner

		biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part C of this Schedule	
34.	1034	Manufacturing of glue and gelatin	
35.	1035	Mining and ore beneficiation	
36.	1036	Nuclear power plant	
37.	1037	Pesticides (technical) (excluding formulation)	
38.	1038	Photographic film and its chemicals	
39.	1039	Railway locomotive workshop/Integrated road transport workshop/Authorized service centers **having waste water generation 100 KLD and above**	O-89
40.	1040	Yarn / Textile processing involving any effluent/emission generating processes including bleaching, dyeing, printing and coloring	
41.	1041	Chlor Alkali	
42.	1042	Ship Breaking Industries	
43.	1043	Oil and gas extraction including CBM (offshore & on-shore extraction through drilling wells)	
44.	1044	Industry or process involving metal surface treatment or process such as pickling/electroplating/paint stripping/heat treatment using cyanide bath/ phosphating or finishing and anodizing / enamellings/ galvanizing	
45.	1045	Tanneries	
46.	1046	Ports and harbour, jetties and dredging operations	
47.	1047	Synthetic fibers including rayon, tyre cord, polyester filament yarn	
48.	1048	Thermal Power Plants	
49.	1049	Slaughter house (as per notification S.O.270(E) dated 26.03.2001) and meat processing industries, bone mill, processing of animal horn, hoofs and other body parts	
50.	1050	Aluminum Smelter	
51.	1051	Copper Smelter	
52.	1052	Fertilizer (basic) (excluding formulation)	
53.	1053	Iron & Steel (involving processing from ore/ integrated steel plants) and or Sponge Iron units	
54.	1054	Pulp & Paper (waste paper based units with bleaching process to manufacture writing & printing paper)	
55.	1055	Zinc Smelter	
56.	1056	Oil Refinery (mineral Oil or Petro Refineries)	

Scanned with CamScanner

57.	1057	Petrochemicals Manufacturing (including processing of Emulsions of oil and water)	
58.	1058	Pharmaceuticals	
59.	1059	Pulp & Paper (Large-Agro +wood) , Small Pulp &Paper (agro based-wheat straw/rice husk)	
60.	1060	Distillery (molasses / grain / yeast based)	
61.	1061	Synthetic detergents and soaps (excluding formulation) having waste water generation 100 KLD and above.	O-13
62.	1062	Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing) having waste water generation 100 KLD and above.	O-18
63.	1063	Building and construction projects more than 20,000 sq. m built up area and having waste water generation 100 KLD and above.	O-21
64.	1064	Ceramics and Refractories having coal/fuel consumption 12 MT/day and more	O-22
65.	1065	Fermentation industry including manufacture of yeast, beer, distillation of alcohol (Extra Neutral Alcohol) having waste water generation 100 KLD and above.	O-27
66.	1066	Ferrous and Non-ferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining, re-processing, casting and alloy making-Secondary production of Ferrous and Non-ferrous metals more than 1 MT/hr production (or) Lead extraction irrespective of capacity (or) metal extraction having Induction Furnace clubbed with AOD furnace	O-28
67.	1067	Industry or processes involving foundry operations having capacity of 5 MT/hr and more as such units require using coal/coke at more than 500 Kg/hr.	O-42
68.	1068	Manufacturing of glass (Lead glass only)	O-45
69.	1069	Non-alcoholic beverages (soft drink) & bottling of alcohol/nonalcoholic products having waste water generation 100 KLD and above.	O-53
70.	1070	Vegetable oil manufacturing including solvent extraction and refinery /hydrogenated oils having waste water generation 100 KLD and above.	O-71
71.	1071	Parboiled Rice Mills having waste water generation 100 KLD and above (or) fuel consumption 12 MTD and above (or) both	O-79
72.	1072	Common treatment and disposal facilities- TSDF	1R

Scanned with CamScanner

73.	1073	Common treatment and disposal facilities – E-waste recycling	1R
74.	1074	Common treatment and disposal facilities - CBMWTF	1R
75.	1075	Effluent conveyance projects	1R
76.	1076	Common treatment and disposal facilities-Solvent/acid recovery plant	1R
77.	1077	MSW sanitary land fill site	1R
78.	1078	Common treatment and disposal facilities-CETP for Red category Industries	1R
79.	1079	Industrial estates/ parks / complexes/ areas/ export processing zones/ SEZs/ Biotech parks/ leather complex	5R
80.	1080	Pharmaceutical R & D activities (For sustained release/extended release of drugs only and not for commercial purpose)	O-74
LEFT OUT SECTORS IN THE CPCB CATEGORISATION			Note- R-1
81.	1081	Sewage Treatment Plants	
82.	1082	Pyrolysis Plants	
83.	1083	Tyre, tube & rubber components with boiler	
84.	1084	Analytical & material testing lab	
85.	1085	Industrial inorganic gases namely a) Chemical gases: Acetylene, hydrogen, Chlorine, Flourine, ammonia, Sulphur Dioxide etc. b) Hydro carbon gases: Methane, Ethane, Propane	
86.	1086	Reprocessing of waste oil	
87.	1087	Area/Infrastructure development projects covered under EIA notification	O-2-Annexure & O-91
88.	1088	Sand mining Projects of Category A and B_1 under EIA notification	O-1-Annexure and O-90
89.	1999	Miscellaneous (Red)	

NOTE: **Sl. No. 61 to 80 are added to get clarity in CPCB list, and Sl. No. 81 to 88 are added based on scoring done by Committee of PPCB.**

2. **Orange Category Industries-104 Nos.**

Sr. No.	Type code	Industry sector-Types	Reference
1.	2001	Dismantling of rolling stocks (wagons/coaches)	
2.	2002	Bakery and confectionery units with production capacity>1TPD (with ovens/furnaces)/units having production <1TPD with oven/furnace other than electric/gas oven	

Scanned with CamScanner

3.	2003	Chanachur and ladoo from puffed and beaten rice (muri and shira) using husk fired oven	
4.	2004	Coated electrode manufacturing	
5.	2005	Compact disc computer floppy and cassette manufacturing/Reel Manufacturing	
6.	2006	Flakes from rejected PET bottle	
7.	2007	Food and food processing including fruits and vegetables processing	
8.	2008	Jute processing without dyeing	
9.	2009	Manufacturing of [illegible]	
10.	2010	Manufacturing of tooth powder, toothpaste, talcum powder and other cosmetic items	
11.	2011	Printing or etching of glass sheet using hydrofluoric acid	
12.	2012	Silk screen printing, sari printing by wooden blocks	
13.	2013	Synthetic detergents and soaps(excluding formulation) **having waste water generation < 100 KLD**	R-61
14.	2014	Thermometer manufacturing	
15.	2015	Cotton spinning and weaving (medium and large scale)	
16.	2016	Almirah, Grill Manufacturing (Dry Mechanical Process) **with spray painting**	W-39
17.	2017	Aluminum & copper extraction from scrap using oil fired furnace (dry process only)	
18.	2018	Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing) **having waste water generation less than 100 KLD**	R-62 W-81
19.	2019	Ayurvedic and homeopathic medicine**(with Boiler)**	G-2
20.	2020	Brickfields (excluding fly ash brick manufacturing using lime process)	
21.	2021	Building and construction project more than 20,000 sq. m built up area **and having waste water generation less than 100 KLD**	R-63
22.	2022	Ceramics and Refractories **having coal / fuel consumption less than 12 MT/day**	R-64
23.	2023	Coal washeries	
24.	2024	Dairy and dairy products (small scale)	R-16
25.	2025	DG set of capacity >1MVA but < 5MVA	
26.	2026	Dry coal processing, mineral processing, industries involving ore sintering, pelletisating, grinding & pulverization	
27.	2027	Fermentation industry including manufacture of yeast, beer, distillation of alcohol (Extra Neutral Alcohol) **having waste water generation less than 100 KLD**	R-65

Scanned with CamScanner

28.	2028	Ferrous and Non- ferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining, re-processing, casting and alloy making-**Secondary production of Ferrous and Non-ferrous metals (excluding lead) upto 1 MT/hr production**	R-66
29.	2029	Fertilizer (granulation / formulation / blending only)	
30.	2030	Fish feed, poultry feed and cattle feed	
31.	2031	Fish processing and packing (excluding chilling of fishes)	
32.	2032	Forging of ferrous and non- ferrous metals (using oil and gas fired furnaces)	
33.	2033	Formulation/pelletization of camphor tablets, naphthalene balls from camphor/ naphthalene powders	
34.	2034	Glass ceramics, earthen potteries and tile manufacturing using oil and gas fired kilns, coating on glasses using cerium fluorides and magnesium fluoride etc	
35.	2035	Gravure printing, digital printing on flex, vinyl	
36.	2036	Heat treatment using oil fired furnace (without cyaniding)	
37.	2037	Hot mix plants	
38.	2038	Hotels (< 3 star) or hotels having > 20 rooms and less than 100 rooms **or having waste water generation > 10 KLD and less than 100 KLD and having a coal/Oil fired Boiler**	R-31
39.	2039	Ice cream	
40.	2040	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 – Items namely - Paint and ink Sludge/residues	
41.	2041	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 - Items namely - Brass Dross , Copper Dross, Copper Oxide Mill Scale, Copper Reverts, Cake & Residues, Waste Copper and copper alloys in dispersible form, Slags from copper processing for further processing or refining, Insulated Copper Wire Scrap/copper with PVC sheathing including ISRI-code material namely Druid ,Jelly filled Copper cables, Zinc Dross-Hot dip Galvanizers SLAB, Zinc Dross-Bottom Dross, Zinc ash/Skimming arising from galvanizing and die casting operations, Zinc ash/Skimming/other zinc bearing wastes arising from smelting and refining, Zinc ash and residues including zinc alloy residues in dispersible form	
42.	2042	Industry or processes involving foundry operations **having capacity < 5 MT/hr as such units require coal/coke at less than 500 Kg/hr**	R-67
43.	2043	Lime manufacturing (using lime kiln)	

Scanned with CamScanner

44.	2044	Liquid floor cleaner, black phenyl, liquid soap, glycerol mono-stearate manufacturing	R-68
45.	2045	Manufacturing of glass **(except Lead glass)**	
46.	2046	Manufacturing of iodized salt from crude/ raw salt	
47.	2047	Manufacturing of mirror from sheet glass	
48.	2048	Manufacturing of mosquito repellent coil.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
50.	2050	Mechanized laundry using oil fired boiler	G-64
51.	2051	Modular wooden furniture from particle board, MDF< swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc., and other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (with boiler)	
52.	2052	New highway construction projects	R-69
53.	2053	Non-alcoholic beverages (soft drink) & bottling of alcohol/non alcoholic products **having waste water generation less than 100 KLD**	
54.	2054	Paint blending and mixing (Ball mill)	
55.	2055	Paints and varnishes (mixing and blending)	
56.	2056	Ply-board manufacturing(including Veneer and laminate) with oil fired boiler/ thermic fluid heater(without resin plant)	
57.	2057	Potable alcohol (IMFL) by blending, bottling of alcohol products	
58.	2058	Printing ink manufacturing	
59.	2059	Printing press	
60.	2060	Reprocessing of waste plastic including PVC	
61.	2061	Rolling mill (oil or coal fired) and cold rolling mill	G-40
62.	2062	Spray painting, paint baking, paint shipping	
63.	2063	Steel and steel products using various furnaces like blast furnace /open hearth furnace/induction furnace/arc furnace/submerged arc furnace /basic oxygen furnace /hot rolling reheated furnace	
64.	2064	Stone crushers	
65.	2065	Surgical and medical products including prophylactics and latex	
66.	2066	Tephlon based products	

Scanned with CamScanner

67.	2067	Thermocol manufacturing (with boiler)	
68	2068	Tobacco products including cigarettes and tobacco/opium processes	
69.	2069	Transformer repairing/ manufacturing (dry process only)	
70.	2070	Tyres and tubes vulcanization/ hot retreading	
71.	2071	Vegetable oil manufacturing including solvent extraction and refinery /hydrogenated oils **having waste water generation < 100 KLD**	R-70
72.	2072	Wire drawing and wire netting	
73.	2073	Dry cell battery (excluding manufacturing of electrodes) and assembling & charging of acid lead battery on micro scale	
74.	2074	Pharmaceutical formulation and for R & D purpose (For sustained release/ extended release of drugs only and not for commercial purpose)	
75.	2075	Synthetic resins	
76.	2076	Synthetic rubber excluding moulding	
77.	2077	Cashew nut processing	
78.	2078	Coffee seed processing	
79.	2079	Parboiled Rice Mills **having waste water generation < 100 KLD and fuel consumption less than 12 MTD**	R-71
80.	2080	Foam manufacturing	
81.	2081	Industries engaged in recycling / reprocessing/ recovery/reuse of Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 – Items namely -Used Oil – As per specifications prescribed from time to time.	
82.	2082	[illegible] Hazardous Waste under schedule iv of HW(M, H& TBM) rules, 2008 – Items namely –Waste Oil ---As per specifications prescribed from time to time.	
83.	2083	Producer gas plant using conventional up drift coal gasification (linked to rolling mills glass and ceramic industry refectories for dedicated fuel supply	
84.	**2084**	**Airports and Commercial Air Strips having waste water generation < 100 KLD**	**R-23**
85.	**2085**	**Health-care Establishment (as defined in BMW Rules) without incinerator and having total waste water generation less than 100 KLD**	**R-30**

Scanned with CamScanner

86.	2086	Common treatment and disposal facilities(CETP for Orange category industries)	1R
87.	2087	Manufacturing of pasted veneers using gas fired boiler or thermic fluid heater and by sun drying	G-28
88.	2088	Tea processing (with boiler)	G-63
89.	2089	Railway locomotive work shop/Integrated road transport workshop/Authorized service centers having waste water [illegible]	R-39

LEFT OUT SECTORS IN THE CPCB CATEGORISATION

90.	2090	Sand minding projects of Category B: covered under EIA notification.	O-1-Annexure and R-89
91.	2091	Area/Infrastructure Development Project including educational institutions, community hall, IT Park, Theme park (Not covered under EIA notification 2006)	O-2-Annexure & R-88
92.	2092	Chemical mixing cum storage units	
93.	2093	Pesticides formulation	
94.	2094	Rice Mills (With or without dryer)> 10 TPD	G-39
95.	2095	Marriage Palaces	
96.	2096	Bottling of gases	
97.	2097	Infrastructure development projects not covered under EIA notification.	
98.	2098	Surgical cotton including wet process	
99.	2099	Building and construction project ≤ 20,000 sq. m built up area	O-21
100.	2100	Light Engineering & Fabrication units with spray painting	
101.	2101	Hosiery /Garment manufacturing with washing only (without bleaching and dying) with discharge greater than or equal to 2 KLD	G-67
102.	2102	Tyre, tube & rubber components without boiler and rubber reclaim industry	
103.	2103	Injection moulding of plastic(only from fresh/virgin [illegible] granules and only large & medium scale industry)	G-68
104.	2999	Miscellaneous (Orange)	

NOTE:- Sl. No.84 to 89 are added to get clarity in CPCB list, and Sl. No.90 to 103 are added based on scoring done by the Committee of PPCB.

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-19b

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. G 33661 ...... /सी–6/

Dated 16-9-2020

अनुस्मारक / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
ई–मेल द्वारा

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषय: मा<u>ननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–जी.33335 / सी–6 / सा0–52 / ओ0ए0नं0 / 116 / 2014 / 2020 दिनांक 29.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में निम्नानुसार वर्णित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था:–

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा उक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त कार्यवाही विलम्बतम एक माह में पूर्ण कर ली जाये"।

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित रेड कैटेगरी (89 Nos.- Industry Sector-Types) एवं ऑरेंज कैटेगरी (104 Nos.- Industry Sector-Types) के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की सूची इस कार्यालय के पत्रांक–जी.33335 / सी–6 / सा0–52 / ओ0ए0 नं0–116 / 2014 / 2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है। उक्त की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

कृपया अवगत होगें कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–116 / 2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य तथा ओ0ए0सं0–437 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 से आच्छादित है, जिसमें मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को दिनांक 30.09.2020 तक अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी हैं। उपरोक्त सम्बन्ध में अनुपालन की सूचना अभी तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपसे पुनः अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

संलग्नक :– यथोपरि।

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया निवेश मित्र पोर्टल पर कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्णयों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-20

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–673/2018 में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजूविनेशन कमेटी की दिनांक 22.06.2020 को अपरान्ह 05:15 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–673/2018 में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजूविनेशन कमेटी की दिनांक 22.06.2020 को अपरान्ह 05:15 बजे बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा के अनुसार बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रदेश में स्थित 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु प्राथमिकता–प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम के आधार पर कार्ययोजनायें बनायी गयी हैं, जिनका अनुमोदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। प्राथमिकता–प्रथम में यमुना, वरूणा, काली (पूर्वी) एवं हिण्डन नदी सम्मिलित है, जिनमें प्रदूषण भार (बी0ओ0डी0)–30 मि0ग्रा0/लीटर से अधिक है।

3– बैठक में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न बिंदुओं पर एक पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण किया गया :–

1– टैप्ड/अनटैप्ड ड्रेन्स की स्थिति।
2– सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
3– ठोस, प्लास्टिक, बायोमेडिकल एवं लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
4– सी0ई0टी0पी0/ ई0टी0पी0 की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
5– फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन एवं नदियों के ई–फ्लो की स्टडी की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।
6– वृक्षारोपण की स्थिति एवं भविष्य की कार्ययोजना।

4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों हेतु बनायी गयी कार्ययोजनाओं के अनुसार कुल 324 ड्रेन्स चिन्हित हैं, जिनमें से 35 ड्रेन्स टैप्ड, 264 अनटैप्ड एवं 25 आंशिक रूप से टैप्ड हैं। अनटैप्ड एवं आंशिक रूप से टैप्ड ड्रेन्स पर माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक इन–सीटू रैमेडिऐशन की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था। यह भी अवगत कराया गया कि सभी उत्तरदायी स्थानीय निकायों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 ए के अंर्तगत कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.06.2020 निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

5– 12 नदियों के प्रदूषित नदी खण्डों के कैचमेंट एरिया में उत्तरदायी संस्था द्वारा 47 नये प्रस्तावित/निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 31 मार्च, 2020 तक 26 एस0टी0पी0 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें 19 एस0टी0पी0 का कार्य मार्च, 2021, 04 एस0टी0पी0 का अक्टूबर, 2021 एवं 03 एस0टी0पी0 का कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 21 एस0टी0पी0 में 07 एस0टी0पी0 टेण्डरिंग प्रक्रिया में हैं तथा 14 की डी0पी0आर0 अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। इसी अनुक्रम में यह भी अवगत कराया गया कि समस्त 47 एस0टी0पी0 में निर्माण कार्य 31 मार्च, 2020 तक प्रारम्भ किये जाने का आदेश माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–673/2018 में दिनांक 06.12.2019 को पारित किया गया था। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी आदेशित किया गया था कि यदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक यदि एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा, तो सम्बन्धित स्थानीय निकाय के विरूद्ध प्रति एस0टी0पी0/माह 5.00 लाख रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाए। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.06.2020 निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है।

6– बैठक में सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि हिंडन नदी में गिरने वाले सीवेज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 स्थापित किये गये हैं, परन्तु सीवेज नेटवर्क का विकास नहीं हो पाने के कारण सीवेज को पूर्ण रूप से उपचार हेतु एस0टी0पी0 में नहीं ले जाया जा सका है। उक्त के फलस्वरूप अशोधित सीवेज की एक बड़ी मात्रा हिंडन नदी में गिर रही है।

7– बैठक में विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी में ई–फ्लो मेनटेन किया जा रहा है तथा गंगा नदी के बिजनौर से लेकर कानपुर तक के खण्ड हेतु फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। अन्तर्राज्यीय नदियों यमुना, बेतवा एवं रामगंगा के फ्लड प्लेन डिमार्केशन हेतु सर्वे का कार्य केंद्रीय जल बोर्ड, नई दिल्ली के स्तर से किया जाना हैं तथा इनके फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण भी केंद्रीय जल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। शेष 08 नदियों हेतु फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण की कार्यवाही माह अक्टूबर, 2020 तक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से की जायेगी। 03 नदियों यथा वरूणा, सई एवं गोमती चिरस्थायी (Perennial) नदी नहीं होने के कारण उनमें ई–फ्लो मेनटेन नहीं किया जा सकता है। शेष 07 नदियों हेतु ई–फ्लो का निर्धारण किये जाने संबंधी स्टडी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आई0आई0टी0, नई दिल्ली को दी गयी है, जिसे माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना है। सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों द्वारा यदि अपने क्षेत्रान्तर्गत तालाबों व सहायक नदियों की गहराई बढ़ाये जाने

Scanned with CamScanner

का कार्य मनरेगा योजना से कराया जाता है, तो आगामी वर्षकाल में उनमें जल संचयन होगा जो कि नदियों की अविरलता को प्राप्त किये जाने में सहायक होगा।

8– सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 612 स्थानीय निकाय विद्यमान है, जिनसे 17377.0 मीट्रिक टन/दिन सालिड वेस्ट जनित हो रहा है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में कार्यरत् 12 वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों के माध्यम से 4615.0 मीट्रिक टन/दिन वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रदेश में उक्त के अतिरिक्त 20 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विवाद में होने के कारण कार्यरत् नहीं है, जिनमें अनुमानित 3355.0 मीट्रिक टन/दिन वेस्ट प्रोसेस किया जा सकता है। यह सभी 20 प्लांट मार्च, 2021 तक पुनः संचालित कर लिये जायेगें। इसके अतिरिक्त 582 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु जमीन का चिन्ह्ीकरण कर लिया गया है। उपरोक्त पर सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अभी भी सालिड वेस्ट प्रबन्धन में लगभग 10,000 टन का गैप बना हुआ है, जो भविष्य में लीगैसी वेस्ट के रूप में एक बड़ी समस्या बन सकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त गैप दिनांक 31.03.2021 तक खत्म कराने हेतु सालिड वेस्ट प्लांट की स्थापना करायी जा रही है तथा इसी अनुक्रम में यह भी अवगत कराया गया कि मुरादाबाद, जौनपुर एवं अलीगढ में बन्द पड़े सालिड वेस्ट प्लांट को पुनः चला दिया गया है। प्रदेश में मेरठ तथा नोएडा में क्रमशः 3.0 लाख मीट्रिक टन, 1.0 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट का रैमेडिऐशन कराया जा चुका है। आगरा तथा नोएडा में क्रमशः 8.0 लाख मीट्रिक टन, 1.10 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट के रैमेडिऐशन की प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 10 प्रमुख बड़े शहरों में लगभग 26.1 लाख मीट्रिक टन लीगैसी वेस्ट का उपचार 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है।

9– औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कलस्टर में स्थापित टैक्सटाइल एवं टैनरी समूहों से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु क्रमशः 03–03 सी0ई0टी0पी0 स्थापित एवं कार्यरत् है, जिसमें मथुरा के सी0ई0टी0पी0 में शून्य उत्प्रवाह किये जाने की कार्यवाही एन0एम0सी0जी0 के माध्यम से की जा रही है। जाजमऊ स्थित सी0ई0टी0पी0 में 20 एम0एल0डी0 क्षमता विस्तार दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। उन्नाव स्थित बन्थर में सी0ई0टी0पी0 के उच्चीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार हो गया है तथा एन0एम0सी0जी0 द्वारा वित्तीय परियोजना स्वीकृत कर दी गयी है। उन्नाव स्थित साईट–2, औद्योगिक क्षेत्र में भी 2.15 एम0एल0डी0 के नये सी0ई0टी0 हेतु एन0एम0सी0जी0 द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है। वर्तमान में इन उपरोक्त सी0ई0टी0पी0 से सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयों को इनकी शोधन क्षमता के अनुसार उत्प्रवाह जनित करने हेतु घटी हुई उत्पादन क्षमता पर औद्योगिक संचालन हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रदेश में चिन्हित 12 प्रदूषित नदी खण्डों के कैचमेंट एरिया में चिन्हित 1619 जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित है, जिनमें प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन की व्यवस्था स्थापित है। इन इकाईयों का सतत् अनुश्रवण राज्य बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एन0एम0सी0जी0 द्वारा अधिकृत तकनीकी संस्थाओं द्वारा समय–समय

Scanned with CamScanner

पर किया जा रहा है। अनुश्रवण के दौरान 386 औद्योगिक इकाईयाँ मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शोधित न करने के परिणामस्वरूप इनके विरूद्ध लगभग 20 करोड़ रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ–साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की गयी है।

10– बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :–

1– प्रदूषित नदी खण्डों में गिरने वाले बड़े नालों को चिन्हित कराते हुए उनकी टैपिंग हेतु कार्ययोजना तैयार/कियान्वयन किये जाने की स्थिति का पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम)

2– केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार नालों में कन्सट्रक्टेड वेटलैण्ड/फाईटोरेमिडियेशन का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोगिक तौर पर इस कार्य हेतु स्थानीय निकायों से वसूल की जा रही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही– नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– प्रदूषित नदी खण्डों में गिरने वाले नालों में प्रदूषण की स्थिति में हो रहे परिवर्तन के संबंध में पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– एस0टी0पी0 में सीवेज को पहुँचाने हेतु आवश्यक सीवेज नेटवर्क के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की पूर्ण स्थिति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय तथा स्थापित एस0टी0पी0 की क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम)

5– उल्लंघनकारी उद्योगों, एस0टी0पी0, सी0ई0टी0पी0 व अन्य प्रदूषण श्रोतों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण एवं सूची भी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– प्रदूषित नदियों में कैनाल सिस्टम के माध्यम से सिंचाई के सरप्लस जल को प्रवाहित किये जाने हेतु एवं आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किये जाने हेतु कार्ययोजना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रदूषित नदियों की अविरलता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सहायक नदियों/नालों तथा तालाबों को पुनर्जीवित किये जाने की कार्यवाही मनरेगा योजना से करायी जाय।

(कार्यवाही–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग)

Scanned with CamScanner

7— प्रदेश स्थित 12 नदियों के प्रदूषित खण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु निरूपित कार्ययोजनाओं में निहित कार्यवाही के बिंदुओं से संबन्धित सूक्ष्म योजनायें, जिनमें वित्तीय आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्त्रोत एवं टाइमलाईन आदि का स्पष्ट विवरण दिया गया हो, तैयार कर एक सप्ताह में पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

आलोक सिन्हा
कृषि उत्पादन आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7
संख्या—NGT-283(i)/81—7—2020—49(पर्या)/2017 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/कृषि/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।
3— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4— प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
6— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8— क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
9— निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
10— डॉ0 ए0ए0 काजमी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, रूड़की।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
सचिव।

Scanned with CamScanner

Annexure-21

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/एन0जी0टी0 आदेश
संख्या–2446/20–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(4) निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी,
अयोध्या/देवरिया/लखीमपुर–खीरी/बहराइच/गोण्डा/सीतापुर/बाराबंकी/बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/प्रतापगढ़/सुल्तानपुर/जौनपुर/मीरजापुर/वाराणसी/कुशीनगर/मऊ/बलिया/महाराजगंज/अम्बेडकरनगर/श्रावस्ती/बलरामपुर/सिद्धार्थ नगर/संतकबीर नगर।

(6) उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण/अयोध्या विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

(7) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर, 2020

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायमूर्ति, देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2019 को लखनऊ में आहूत मॉनीटरिंग कमेटी के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1174/19–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 05 जून, 2020, पत्र संख्या–1219/19–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 11 जून, 2020, पत्र संख्या–1288/19–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 23 जून, 2020 एवं पत्र संख्या–1642/20–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 16 जुलाई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य में दिनांक 27–09–2019 को पारित निर्णय के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:–

> "A Joint Committee comprising the Secretaries, Urban Development, Environment and Forest and Irrigation, Flood Control Department, Uttar Pradesh, UPPCB and the CPCB may take further action in accordance with law, in the light of the report and furnish an action taken report before the next date. The Nodal Agency will be Secretary, Irrigation for coordination, compliance and furnishing report to this Tribunal. The GDA is at liberty to furnish its view point to the said Joint Committee."

2. उक्त आदेश के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन व नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की संयुक्त समिति की ओर से मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 16 जून, 2020 को अन्तरिम Action Taken Report प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 30 सितम्बर, 2020 से पूर्व अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है।

my computer/:D/Santosh Document/G.O.(S)

Scanned with CamScanner

3. अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर व अन्य के सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 के द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है, मा0 न्यायमूर्ति, देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2019 को लखनऊ में आहूत मॉनीटरिंग कमेटी के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या के बिन्दुवार अंश निम्नवत् हैं:–

कमांक	सम्बन्धित जनपद	कृत कार्यवाही
क्र0 संख्या–1ए	सम्बन्धित जनपद अयोध्या, देवरिया, लखीमपुर–खीरी, बहराईच, गोण्डा, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मीरजापुर, वाराणसी, कुशीनगर, मऊ, बलिया, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर।	यह बिन्दु दि0 12.07.2019 के कियान्वयन/अनुपालना से सम्बन्धित है।
क0 संख्या–1बी	अयोध्या	यह बिन्दु सीतालेक से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित है।
क0 संख्या–2	देवरिया	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 13.03.2019 को देवरिया जनपद में स्याही नदी पर अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 02 माह में रिपोर्ट गठित करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.03.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–3	गोरखपुर एवं सरयू अथवा घाघरा, राप्ती, छोटी गण्डक एवं नारायणी नदी से सम्बन्धित जनपद।	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को सम्बन्धित जनपदों में सरयू अथवा घाघरा, राप्ती, छोटी गण्डक एवं नारायणी नदी पर अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–4	श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया।	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को सम्बन्धित जनपदों में राप्ती नदी पर अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–5	गोरखपुर	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद गोरखपुर स्थित सूरजकुण्ड पोखरा के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी

Scanned with CamScanner

		अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–6	गोरखपुर	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद गोरखपुर स्थित जटाशंकर पोखरा के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–7	गोरखपुर	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद गोरखपुर स्थित मानसरोवर पोखरा के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–8	कुशीनगर	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद कुशीनगर स्थित ककुरथा एवं हृण्यावती नदी के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–9	बलिया	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद बलिया स्थित सुरहाताल के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–10	बहराईच	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद बहराईच स्थित बघेलताल के अतिकमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी

Scanned with CamScanner

		रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–11	संतकबीरनगर	इस बिन्दु के अन्तर्गत मानीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 28.05.2019 को जनपद संतकबीरनगर स्थित बखीरालेक के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 03 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।
क0 संख्या–12	अयोध्या	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में स्थित सुरवारी लेक की पुनर्स्थापना/पुनरोद्धार के लिए जिला प्रशासन को एक माह का समय दिया गया है।
क0 संख्या–13	बस्ती एवं गोण्डा	इस बिन्दु के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती के द्वारा मनोरमा नदी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। डिप्टी कमिश्नर, लेबर एण्ड इम्पलायमेन्ट, गोण्डा द्वारा मनोरमा नदी के पुनरोद्धार की कार्य योजना पर एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
क0 संख्या–14	बाराबंकी	इस बिन्दु के अन्तर्गत जिला प्रशासन को कल्याणी नदी के पुनरोद्धार पर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय प्रदान किया गया है।
क0 संख्या–15अ एवं 15ब	सम्बन्धित नहीं।	–
क0संख्या–16–20 तक	सम्बन्धित नहीं।	–
क0संख्या–21	प्रतापगढ़, सुलतानुपर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, मीरजापुर, वाराणसी	सम्बन्धित जिलाधिकारियों से स्तर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में व्याप्त प्रदूषण पर रिपोर्ट अप्राप्त है, जिसके लिए उन्हें एक माह का अतिरिक्त समया दिया गया है।
क0संख्या–22	प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई।	इस बिन्दु के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी नदियों के पिछले एक वर्ष के एच0एफ0एल0 उपलब्ध कराने हेतु एक माह का समय दिया गया है। निर्देशों की अनुपालना हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
क0संख्या–23	सम्बन्धित नहीं।	–
क0संख्या–24	बहराइच, गोण्डा	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद बहराइच एवं गोण्डा के जिलाधिकारी स्तर से सरयू नदी के पुनरोद्धार/पुनर्स्थापना पर रिपोर्ट अप्राप्त है, जिसके लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है।
क0संख्या–25	सम्बन्धित नहीं।	–
क0संख्या–26 एवं 27	राज्य वेटलैंड अथारिटी (वन विभाग)	इस बिन्दु के अन्तर्गत राज्य वेटलैंड अथारिटी के द्वारा 180 चिन्हित वेटलैंड पर कार्ययोजना एक माह में प्रस्तुत की जानी है।
क0संख्या–28 से 31 तक	सम्बन्धित नहीं।	–
क0संख्या–32	बस्ती	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद बस्ती में बनने वाली ड्रेन के सम्बन्ध. में कार्ययोजना अप्राप्त है।

Scanned with CamScanner

क0संख्या–33	सम्बन्धित नहीं।	—
क0संख्या–34अ	अम्बेडकरनगर	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित भदोना, डरबन एवं अन्य तालों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।
क्र0 संख्या–34 ब	अयोध्या	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में तिलोडकी गंगा पर जिलाधिकारी स्तर से रिपोर्ट अगामी बैठक में प्रस्तुत की जानी है।
क्र0 संख्या–35 से 40 तक	सम्बन्धित नहीं।	—
क्र0 संख्या–41	अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार	—
क्र0 संख्या–42	सम्बन्धित नहीं।	—
क्र0 संख्या–43 व 44	गोरखपुर	इस बिन्दु के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर स्थित चिलिवाताल (महेश्वरा ताल) के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं डी0एफ0ओ0 की कमेटी गठित की गयी, जो कि 01 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायमूर्ति, देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2019 को लखनऊ में आहूत मॉनीटरिंग कमेटी के द्वारा दिये गये निर्देशों (जिसे शासन के पत्र संख्या–1288/19–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 23 जून, 2020 एवं पत्र संख्या–1642/20–27–सिं–4–02(रिट)(एन0जी0टी0)/2019, दिनांक 16 जुलाई, 2020 द्वारा ई0मेल sugandhs2@gmail.com तथा irrisec4@gmail.com के माध्यम से पूर्व में भी आपको प्रेषित की जा चुकी है।) की अनुपालन आख्या के उपरोक्त बिन्दुवार अंश में विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 के द्वारा अपने–अपने बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या–2446(I)/20–27–सिं0–4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) जिला वन अधिकारी (DFO), अयोध्या/देवरिया/लखीमपुर–खीरी/बहराइच/गोण्डा/सीतापुर/बाराबंकी/बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/प्रतापगढ़/सुलतानपुर/जौनपुर/मीरजापुर/वाराणसी/कुशीनगर/मऊ/बलिया/महाराजगंज/अम्बेड़करनगर/श्रावस्ती/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/संतकबीर नगर प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता, (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना–2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
(8) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई/जल निगम, अयोध्या/देवरिया/लखीमपुर–खीरी/बहराईच/गोण्डा/सीतापुर/बाराबंकी/बस्ती/गोरखपुर/आजगगढ़/प्रतापगढ़/सुल्तानपुर/जौनपुर/मीरजापुर/वाराणसी/कुशीनगर/मऊ/बलिया/महाराजगंज/अम्बेडकरनगर/श्रावस्ती/बलरामपुर/सिद्धार्थ नगर/संतकबीर नगर।

आज्ञा से,

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

Annexure-22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H4157759 /सी–6/जल–53/फैजा0/19 दिनांक 1-1-20

<u>माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण</u>
<u>ई–मेल द्वारा</u>

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

<u>विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन में मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का बिना किसी अवरोध के तिहुरा नाले के माध्यम से निस्तारित करने तथा तिहुरा नाले में समीपवर्ती गॉव का वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये निस्तारित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश।</u>

महोदय,

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के सम्बन्ध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in *O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors.*

A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above.

यह कि माननीय अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 एवं 24.10. 2019 को किया गया। समिति द्वारा निम्न संस्तुति की गयी है:–

It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anaerobic condition in the Tehura Drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately removed all bandha made on the Tehura Drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tehura Drain is due to M/s Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (M/s Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District Administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tehura Drain is discharge only after appropriate treatment.

Scanned with CamScanner

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अ[illegible]र्गत आपको निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।
2. यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गॉव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धीकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।
3. यह कि तिहुरा नाले मे एकत्र स्लज को मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय पप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भू–तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
3. मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मेसर्स यश पेपर्स लि0),दर्शन नगर, अयोध्या।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

Annexure-23

संख्या–NGT–254/81–7–2020–44(रिट)/16 टी0सी0–2

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2020

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"......According to the farmers, bandh was erected to prevent polluting discharge damaging the agricultural fields. However, according to the SDM, the bandh was removed to check stoppage of flow of the drain. The drain needs to be kept clean and its flow need not be obstructed. An updated joint inspection report is required to be obtained from a joint Committee of CPCB and the SPCB which issue will henceforth be dealt with in O.A. No. 399/2019, Mrs. Saraswati vs M/s Yash Paper Limited & Ors. ....

"......A joint Committee of CPCB and State PCB may take remedial action to ensure that the Tihura Drain is cleaned and freed from any industrial effluent or other pollutants. A status report in this regard may be filed as already directed above. ...."

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 तथा 24.10.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में निम्न संस्तुतियाँ की गयी हैं :–

It is evident from the above observation, the ponding and obstacle of flow causes anareobic condition in the Tehura Drain, which also detoriating the water quality. Hence, the District Administration may be directed to immediately removed all bandha made on the Tehura Drain. Further, the major contribution of waste water flow in Tehura Drain is due to M/s Yash Pakka Ltd. Hence, District Administration in association with the unit (M/s Pakka Ltd.) may jointly carry out de-sludging of drain and also make proper arrangement such as pucca drain and provide gradient to ensure free flow of water. The District Administration may also ensure that waste water from the villages by the side of the Tehura Drain is discharge only after appropriate treatment.

उक्त संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र

Scanned with CamScanner

संख्या–एच45759/सी–6/जल–53/फैजा0/2019, दिनांक 01.01.2020 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :–

1– यह कि तिहुरा नाले में किसानों द्वारा बनाये गये समस्त बन्धों को तुरन्त हटा लिया जाये।

2– यह कि तिहुरा नाले के किनारे स्थित गाँव से वेस्ट वाटर बिना शुद्धिकृत किये तिहुरा नाले में निस्तारित न किया जाये।

3– यह कि तिहुरा नाले में एकत्र स्लज को मैसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम मैसर्स यश पेपर्स लि0), दर्शन नगर, अयोध्या के माध्यम से निकालने की व्यवस्था की जाये, जिससे तिहुरा नाले में बिना अवरोध के उद्योग का शुद्धीकृत उत्प्रवाह निस्तारित हो सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं तिहुरा नाला खुलवाने से संबंधित शिकायते प्राप्त होने के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एच49416/सी–6/जल–53/अयोध्या/2020, दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपको अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में आच्छादित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.06.2020 को नियत है और प्रकरण पर जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जाना है।

2– अतः उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत जारी निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 14.06.2020 तक उपलब्ध कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या की स्थिति से मा0 अधिकरण को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–NGT–254/81–7–2020–44(रिट)/16 टी0सी0–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–जी32874/सी–6/जल–53/अयोध्या/2020, दिनांक 09.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

Annexure-24

संख्या-NGT-462/81-7-20

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

श्री संजय सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7,
लखनऊ।

पत्रांक : 646 / विविध लिपिक / शिका0-जांच / 2020, दिनांक : 24 अगस्त, 2020

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-608/81-7-2020-44 (रिट)/2016 टी0सी0-2, दिनांक : 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में अवगत कराना है, कि प्रकरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर, अयोध्या से जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी सदर, अयोध्या की प्राप्त जांच पत्र सं0-2074, दिनांक : 07.08.2020 के अनुसार जिस नाले पर बनवाये गये बंधों को हटवाने की याचना की गयी है, उसके सम्बन्ध में एम0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर व अन्य में यश पेपर मिल्स लि0 दर्शन नगर अयोध्या के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 17.12.2018 पारित किया गया है और मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-4704/2019(एम/बी) दिनेश यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 योजित किया गया है, जो विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में बंधों को हटाया जाना सम्भव नहीं है।

तदनुसार प्राप्त आख्या मूलरूप में मयसंलग्नक सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
अयोध्या।

श्री/आ्र/अ 28/8/20

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर, जनपद अयोध्या

पत्रांकः 2074/एसटी(एस)/शासन–सन्दर्भ/2020 दिनॉक 7 अगस्त 2020

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 24.09.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी,
(प्रशासन) अयोध्या।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 लखनऊ के पत्र संख्या 608/81–7–2020–44 (रिट)/2017 टी0सी0–2 दिनॉक 14 जुलाई 2020 द्वारा प्रेषित श्रीमती सुनीता सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सरायरासी, तहसील सदर, जनपद अयोध्या के प्रार्थना पत्र पर, अपने पृष्ठांकन संख्या 405/एमसी/दिनॉक 22.07.2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से कराकर आख्या प्राप्त की गयी, जो मूलरूप में संलग्न है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त जांच आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि जिस नाले पर बनवाये गये बंधों को हटवाने की याचिका की गयी है, उसके सम्बन्ध में एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में यश पेपर मिल्स लि0 दर्शननगर अयोध्या के सम्बन्ध में आदेश दिनॉक 17.12.2018 को पारित किया गया है और मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4704/2019 (एम/वी) दिनेश यादव आदि बनाम स्टेट आफ यू0पी0 योजित किया गया है, जो विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण बंधों को हटाया जाना सम्भव नही है।

आख्या संलग्नक सहित प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

उपजिलाधिकारी,
सदर–अयोध्या।

Scanned with CamScanner

महोदय,

अवगत कराना है कि जिस नाले पर बनवाये गये बन्धों को हटवाने की याचिका की गयी है। उसके सम्बन्ध में माननीय एन० जी० टी० द्वारा O.A. No. 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम मिनुसा पाल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अदर्स में एस. पेपर मील्स लिमिटेड दर्शन नगर अयोध्या के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 17.12.18 पारित किया गया और माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4728/2019 एम/बी० दिनेश यादव आदि बनाम स्टेट आफ यू० पी० विचाराधीन है। जबतक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं पारित किया जाता तबतक उक्त बन्धों को हटाया जाना सम्भव नहीं है

आख्या सेवा में सम्प्रेषित।

क्षेत्रीय लेखपाल
31/7/20

13

महोदय

उपरोक्त के रूप में आख्या कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

31/7/20

महोदय,

रा०नि० की आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

कानूनगो
31/7/20